THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have the Calling Attention Motion. Nothing is taken up before ...(Interruptions) Margeratji, please, you know the procedure. You had been the Parliamentary Affairs Minister. Let us go by our convention. Our necessity is to know what is happening There is a lot of ...(Interruptions)... misappropriation, as the Members say, of the Wakf properties all over the country. This Calling Attention Motion has been listed for the last one week. Somehow or the other-I do not know whether it was natural or notthe matter never came up for discussion. Every day, somebody raised an issue and the whole issue of crores of rupees worth of properties is put in the background. Let us discuss this matter as well. Now, Mr. Singla.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Misuse, Massive Lease and Sale of Properties of various Wakf Boards in the Country by certain individuals and the action taken by the Government in regard thereto

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Madam, I beg, to call the attention of the Minister of Welfare to the misuse, massive lease and sale of prime properties of various Wakf Boards in the country by certain individuals and the action taken by the Government in regard thereto.

Madam,...

उपसभापतिः स्टेटमैट नहीं करिए, खाली काल करिए। आप कभी-कभी काल अटेशन करते हैं और बाकी का बगैर काल किये ही बोल देते हैं।

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA):

Respected Deputy Chairperson, Hon'ble Members of the august House,

in reply to the Calling Attention Motion moved by Shri Surendra Kumar Singla and other Hon'ble Members of this august House regarding misuse or illegal sale, etc. of Wakf properties in the country, the factual position is that the Parliament has enacted the Wakf Act, 1995 for better administration of Wakfs to curb such illegal activities.

The Wakf Act, 1995 empowers the State Governments under Section 13 of the Act to set up Wakf Boards to ensure proper maintenance of Wakfs under their control and administration of Wakf income for the purposes for which such Wakfs were created/intended. The role of the Central Government is confined under Section 96 of the Act to regulating the secular activities of the Wakfs.

The purpose of bringing new Wakf law is to provide for better administration of Wakfs and to plug loopholes in the earlier Wakf Laws to ensure that Wakf properties are nto alienated by way of sale or transfer. The new law contains the following specific provisions:—

- (i) Ban on alienation of Wakf properties under Section 51 of the Act by virtue of which a gift, sale or exchange or mortgage of an immovable Wakf property is void, if it is made without prior sanction of the Wakf Board. If any property is gifted, sold or exchanged in violation of the provision, the Board can request the district Collector to recover the property and deliver it to the Board.
- (ii) The Chief Executive Officer of the Board has for the first time been given powers under Section 54 of the Act to remove encroachments from Wakf properties and get this order enforced with the help of concerned Sub-Divisional Magistrate.
- (iii) Under Section 40 of the Act, the Board has been given the powers to collect information about the property which the Board considers

to be Wakf and declare it as such after proper enquiry.

(iv) Under Section 61 of the Act, penalities of fine and imprisonment upto 6 months have been prescribed for erring Mutawallis; Section 64 empowers the Board to remove Mutawallis for thier acts of omission and commission.

However, the above provisions would be effective after the State Governments constitute the Wakf Boards under provisions of the Wakf Act, 1995. Central Government has been pursuading State Governments to implement the provisions of the Act by constituting Wakf Boards and Wakf Tribunals. Reports received indicate that State Governments of Andhra Pradesh and Mcghlaya have already constituted the Wakf Boards while Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra are taking action to implement the provisions of the Act. Other State Governments including that of West Bengal are in the process of implementing the provisions of the Act.

As for the cases of illegal sale and transfer of Wakf properties a few cases in Assam, two cases in Delhi, 71 cases in Maharashtra, 43 cases in Orissa and one case in Kerala have been reported. Complaints have also been received about some instances of illegal sale and transfer of Wakf properties in West Bengal by erstwhile West Bengal Wakf Board. The Government of West Bengal have confirmed having received similar complaints and have instituted a departmental enquiry to look into it. A copy of the abovesaid enquiry report has not yet been furnished to the Central Government.

The concerned State Governments have taken appropriate measures for recovery of alienated Wakf properties. In Delhi, two complaints of illegal sale of Wakf properties are beign enquired into by the administration. In Maharashtra, departmental action has been taken against 10 Mutawallis. In Kerala,

prosecution has been started against the Mutawalli concerned; and in Orissa, out of 43 such cases Civil suits have been decided in 29 cases and 14 cases are still pending in Courts. Besides, there have been some cases of sale of Wakf properties by the Rehabilitation Department in Punjab and Haryana, which have been taken up by the Punjab Wakf Board with respective State Governments.

It would, therefore, be appreciated that the Central Government has been requesting the State Governments to take effective steps to ensure the provisions of the new Wakf Act are implemented. Once the State Governments constitute the Wakf Boards an establish Wakf Tribunals, cases of irregularities in sale/ gift/mortgage of Wakf properties would receive urgent attention and it would be possible to take corrective action under the relevant provisions of the Act.

SURINDER SINGLA: Madam, thank you very much. At least the Government's attention has been finally drawn to this. I am sorry to report to the House and to the hon. Minister for Social Welfare here that the Annual Report of the Welfare Department docs not mention a single case. First, the report does not mention whether there is any problem at all or not. There is absolutely no mention of Wakf Board property being looted which he mentioned that he missed in the Calling Attention discussion. The fact of the matter is, for the first time the Government has admitted. wish—considering the background of what has happened in West Bengal—the Minister should come to the House and suo-motu make a statement of what happended not only in West bengal but in other parts of the country. Ultimately, this House has to remind him of his responsibility to respond to this, that there is a problem, there is a national problem, that the people in authority, in positions, are defrauding the Wakf Board properties all over the country. We are

really reminded by the recent problems that have been faced in West Bengal itself. Madam, I am extremely happy to see that you are presiding when the House is discussing such an important matter because I know when the Wakf Act was passed in this august House, you took pains and really brought a lot of amendments on your initiative. But the point is. the intentions of the House or the new legislative changes which have been brought over a period of time for the last 40-50 years from the 1954 Act to the 1995 Act, they have not responded to the basic question. The basic question is this. These Wakfs are really a permanent dedication of moveable and immavrable properties recognised by the Islamic Law for charitable purposes of the community. Apart from this, if the resources permit, these are used for educational and socio-economic development of the community. But, this has not happened. Despite attempts by various social organisations, issues relating to Wakf properties remain unresolved.

Madam, as I mentioned earlier, the legislative powers of both the Central and the State Governments remained unused. The fact is that the State Governments are actively involved. I would concentrate on one major current problem which has occurred in the State of West Bengal and which really opened the eyes of the countrymen as to how Wakf properties are really being looted. When the State Government of West Bengal received complaints of nepotism, corruption and favouritism, it appointed its own Secretary to look into those complaints and a report was submitted in this regard. Everybody knows, every Indian knows how this report was withheld by the State Government. The conclusions of the report are so obvious that it needs further investigations, but the State Government of West Bengal chose to ignore that report. In fact, it made unfair and derogatory remarks against the author of that Report. The unfair and derogatory remarks on the report were made by no

less a person than the Chief Minister of the State. He says, "the report

was perfunctory, evasive, self-contradictory." If you read the report, it is really a quasijudicial report. One would ask whether the Chief Minister has a right to condemn that kind of a report of his own Secretary. Firstly, he refused to place that report; I don't know why. He did not want to share the information and the contents of the report with the elected Members of the West Bengal Assembly.

SHRI MD. SALIM: Madam, he is referring to certain comments which Shri Jyoti Basu is supposed to have made in the House while placing the Sen Gupta Report in the Assembly.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, he is a stern protector of such an order...fl2(Interruptions)...He has always protected the biggest scandals. They defrauded property to the tune of Rs. 1,100 crores.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Singla.. (Interruptions)...

SHRI ASHOK- MITRA (West Bengal): No, no, ...(Interruptions)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Rs. 1,100 crores...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Singla, let him make his point and I will also ...(Interruption)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Actually, this is my charge.

SHRI MD. SALIM: Madam, he cannot put those words here...(Interruptions)...

SHRI SURNIDER KUMAR SINGLA: Why are they really interested to protet the *looters* of the wakf property? ...(Inerruptions)...Either their own party men... Their own party men are involved.. (Interruptions)...

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bisi has raised a point of order.

SHRI SANATAN BISI: Madam, my point of order is this. ...(Interruptions)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: We are discussing it. ...(Interruptions)..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Singla, please sit down. Let me first deal with the point of order. You and the entire House and personally myself also are interested to find out what is happening with the wakf property in the country. We should find out not only what is happening in one State or the other but in the entire country as a whole. Let us discuss this matter in that perspective. That is the reason I sat almost for four — five hours to get the Wakf Bill passed. Now, in the same spirit let us not make it a political warfare because in this political warfare the minorities are going to be deprived of their rightful share.

SHRI SANATAN BISI: Thank you for giving mc this opportunity. Madam, I clearly state that, so far as section 70 is concerned, it relates to administration of Wakf. It is entirely up to the State Governments. Here you cannot denude their powers. As far as the Central Government is concerned, it has to deal with only section 96. So, whatever my learned friend is submitting is out of the way, completely out of the way. That is my point of order. Madam, section 70 is very clear in relation to the powers of the State holding such a thing, If you read section 71, section 81 and section 96, it will be clear. It is completely with the State Government. We cannot discuss the State subject here. We can suggest something. (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Bill was passed and there are certain sections in the Bill as he has mentioned and I also remember that the Wakfs are administred by the State Governments. Some State Governments have ratified and implemented the Act which we passed, some have not done it and some are in the process of doing it. I have no

other way to find out straight away from the State Governments except either by asking the Minister or the representative who is objecting on that as to what the position is so that we do not overlap their work with our discussions here. (Interruptions)..

SHRI **BALWANT** SINGH RAMOOWALIA: Madam, I was also thinking to seek your permission to give the latest information to the hon. Members. I have received a fax massage from the Government of West Bengal. For the information of the House, there arc three points here. One, the State Government of West Bengal has decided to set up a Commission of Inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952, to look into the performance of successive Wakf Boards and Wakf Commission. Two, the I.G. Registration, Government of West Bengal, has been asked not to register transfer of any Wakf property. Three, Municipal Corporations.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is, not register any Wakf property which is either being sold or transferred. ... (*Interruptions*)...

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Three, the Municipal Corporations of Calcutta and Howrah have been asked not to sanction building plan on transferred Wakf lands.

THE DEPUTY CHAIRMAN: According to the information given by

the Minister which is mentioned in a fax message received by him, the inquiry—judicial or departmental—is pending and instructions have been given to the Registrar that no property should be registered and no building plan should be sanctioned for that property.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): The Minister's statement means that several State Governments including that of West Bengal are in the process of implementing the provisions of the Act of 1995. But some of them are still

implementing the 1934 Act. So, Madam, we have every right to speak on that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. As he said, they are in the process of implementing. That means they are implementing it. I do not know whether they are implementing or not. ...(Interruptions).

भी विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश)ः मुझे एक बात कहनी है।

उपसभापति : मंत्री जी जवाब दे दें।

One thing I must tell you. As far as this Act is concerned or the previous Act is concerned, Sikander Bakhtji, for the last ten years I have been involved with the Wakf Council and in the preparation, of the Wakf Bill which is an Act, now. Even the old Act says that the State Government are responsible for the Wakf property. This new Act tries to remove discrepancies which were there in the Act of 1935. Even the old Act says that the State Governments are answerable. . . . (Interruptions). . .

(विपक्ष के नेता) भी सिकन्दर बख्त : वैसे तो यह सवाल उठ गया है, मैं उसकी सफाई देना कहता हूं वरना मेरा इग्रदा था कि जब मेरी भारी आएगी तब बोलूंगा।

المنتری مسکندد بخت: ویسی تویه مسوال دو گیا ہے۔ میں اسمی صغائی دینا چا ہتا مہوں ودندمیر(اوروہ تھا کہ جب میرمی بادی کا میکی تعب بوبون کا - تا

उपसभापतिः आपकी बारी आएगी।

श्री सिकन्दर बस्ताः फिर भी मैं यह बता दूं कि जिस चीज़ पर बहस हो रही है यह व्यर्थ है। मैंने लाँ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की थी कि वह तशरीफ रखें। लाँ मिनिस्टर साहब अभी मौजूद थे, वह फिर चले गये हैं बहां से। खलप साहब को मैंने देखा था। المنفری مسکندریخت: ببربی میں بتادی ان جسی چیز پر بمشہور ہی ہے وہ حویا رقع" ہے۔ میں نے لاونسٹو معاصب بیعود خواست ک مئی لکتہ تشریف دیکھیں ۔ لانسپوصا حب آبی موجود تھے۔ وہ ہوچیل گئے ہیں پہاں ہے۔ مکلپ معاصب بکومیں خدیکھا خانا

क्ष्मापतिः दुलवा लीजिये। Mr. Parliamentary Affaris Minister, will you please get the Law Minister here. ...(Interruptions) He was here. It would be better if he can also come and help. . . A(Interruptions).

SHRI SIKANDER BAKHT: It is an

क्योंकि फेक्ट यह है कि 1954 का एक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 1995 का एक्ट जो पहली जनवरी, 1996 को नाफिज हो गया है।

﴿ لَيُونِكُ فَيِكَتْ يَهِ مِهِ لَدُهِ 19 الْمَالِيكِ ثَوَالِيكُونَ بِى بَيْنِ كُرْتَا بِهِ -@199 كا الْكِتْ جويبِي جنوب 1994 واكونًا في موكيلهما

important matter....(Interruptions)...

It is 1954, not 1934. 1954 and 1995, these are two....(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is being changed again and again.

श्री सिकन्दर बखत: 1995 का एक्ट इंपलीमेंटेबल है ही नहीं और उस वक्त तक इंपलीमेंटेबल नहीं है जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स अकार्डिंग टू दिस न्यु एक्ट रूप्ल एंड रेगुलेशंस न बनाएं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाएं। आपने कहा है कि उनके यहां नये क्क्फ बोर्ड कांस्टीट्यूट हो गये हैं, उन्हें पहले रूप्ल एंड रेगुलेशंस बनाने चाहियें जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाएं हैं।

There is a big legal vacuum, as far as wakf property is concerned. There is a big legal vacuum between the Central Government and the State Governments.

^{†[]} Transliteration in Arabic Script.

1954 का एक्ट तो एग्लिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो गया, रिपोल हो गया और 1995 का एक्ट इंपलीमेंटेबल नहीं है और उसलिए नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अकार्डिंग टू दिस न्यू एक्ट नये रूल एंड रेगुलेशंस नहीं मनाए हैं फॉर हाफ ए डक्टन आफ चिंग्ज़ की क्कफ बोर्ड की नैकरी के क्या-क्या तरीके होंगे वगैरह वगैरह।

That is a quite long business. पर इन रुल्क एंड रेगुलेशीस बनाने के बाद ही 1995 का नया एक्ट इंपलीमेंटेबल होगा। इसकी रेमेडी भी मौजूद है, मैं रेमेडीज़ के लिए अर्ज करूंगा जब बोलने के लिए खड़ा हुंगा।

النفرن سکنور بخت: ۱۹۹۵ کا ایکت امیی مینیجل به بی بنین اور اس و ثعت تک امیی مینیعل بنین بید جب تک اسیست گوزنمنشن اکارفی نقث تو دس نیوا بکعشا و لزاین نئر دیگر لبیغنس نه بنایش کشی بجی اسیشت تو دخمنش نه بنایش کشی بجی اسیشت افکه بهای نی وقت بوده کا نسدی نیوش بود مناف با بیش جو که کشی بی اسیمت گوزمنی مناف جا بیش جو که کشی بی اسیمت گوزمنی

There is a big legal vacuum, as far as wakf property is concerned. There is a big legal vacuum between the Central Government and the State Government.

نده ۱۹ کا ایکت تو ایگزست بی بینی کرتا-ختم محوکیا- لربیپیل مهوگی اود ۱۹۹۵ کا ایکک امپیلیپیل بیش سے -اور ایسلی بیش بیما که امسیت گؤارنمدن نے اکا دلونگ فروس نیوا بیکک نیت دولزاین لامریکی لیشنس نیس بنامے ہیں۔ فارحاف اے گزن تھنگڑنہ و قف بورڈ کانوکری کے کیا کیا فریع ہونگ مریغرہ وغرہ -]

That is a quite long business

بران دولز ایزو دیگو لیشنس بنیف کبید بی ۱۹۹۵ کا نیاا مکت امپلیمیندهای بوگا-اسک دمیوری بی موجود به میس دیمیدوز لیکای موض کرون کا جب بوت کیکار کشوا بونگایا

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the problem is...(Interruptions)... I look at this problem in a very objective man-ner,. (Interruptions)... Please sit down. I do not look at this matter ... (Interruptions)... I do not want this wakf property to go into a legal battle; whether they have implemented or whether they are in the process of implementing it or whether they have made rules or not. Today when we have an opportunity which Mr. Singla has brought to us to have a discussion, I would request the hon. Members to discuss this matter in an objective manner. If you think that there is some 'misappropriation of the wakf property' you must bring it to the notice of the Government. The Central Government's always there to guide the State Governments because it is cur Act: I request the hon. Members on every side that if Mr. Singla is saying-something and if you have an answer to it, please give "that answer to the House. Let the Members know because I know you are also not wanting the wakf properties to be misappropriated; otherwise, an inquiry would not have been set up. The mere fact that an inquiry is being set up, the Government is interested in finding out the mistake. I would not sit over here on a seat of judgement to say that there are only bad people in one State and good people in

tl] Transliteration in Arabic Script.

some other States. Even in the State of Maharashtra, it is the same thing; in the State of Punjab, it is the same thing; in Delhi, where the Central Government is and where we are sitting and where we pass Acts in Parliament, there are many violations of the wakf property. Please discuss this matter in the most objective manner. upon our lunch hour.

SHRI SAIFULLA: Madam, we can discuss

श्री सिकन्दर बख्तः मैं जिस वक्त बोलूंगा, इसकी तफसील में जाऊंगा।

उपसभापति: सिकन्दर बख्त जी आप ज़रूर बोलियेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी We can encroach other States also. ...(Interruptions),.. Madam, please do not allow more than five minutes to each Member. We have to see whether there is any lacuna in the existing Act of 1995 and whether we can rectify it.

उपसभापति: सिंगला जी हम लोग टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं मगर बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते हैं।

SURINDER SINGLA: Madam, if they are taking my time, I cannot help. ...(Interruptions)... Madam, the point is very simple. ...(Interruptions)... It is true that you have allowed a discussion and it should take place freely and frankly. Some solution to this problem should emerge. ...(Interruptions)... But, they are stalling the discussion. What is happening currently in West Bengal is causing agitation in the minds of people. They are agitating because that happened there. It is not really about all States of India. Where actually what happens? One has to focus to know what actually went wrong in one State to find answer in another. Other hon. Members can mention about other States. My whole point is...(Interruptions)...

उपसभापतिः आप पंजाब का भी मेशन कर दीजिएगा। पंजाब में भी है। श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: पंजाब का भी है। पंजाब की तो मेरे पास बहुत इन्फारमेशन है। ...(interruptions)...

SHRI MD. SALIM (West Bengal): They are the biggest scam and fraud protectors... (*interruptions*)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः पश्चिम बंगाल में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है ...(व्यवधान) बात सुननी चाहिए। वक्फ प्रापर्टी के बारे में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है।

उपसभापतिः एक मिनट बैठिए शास्त्री जी। दिल्ली मैं भी बहुत है...(ट्यवधान) Order, order. I said, please do not make the wakf prop erty of the minorities a victim of your fight. This is my ruling. I want on merits if you discuss, fine. But, please; there are other topics and subjects where you can accuse each other but give actual facts and distuss. Do not use such words as we are the protectors of the scam' and so on, because, I cannot stop them from sayirtg, maybe, you are the protector of a scam in Punjab. Please do not do that... (Interruptions).. .No allegations ...(Interruptions)... You put the question... (Interruptions)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Please do not talk like this...(Interruptions)... I know what you are outside... (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Salim, please sit down...(Interruptions)... Please sit down. Let us discuss... (Interruptions... It would not go on record...(Interruptions... Please sit down. Anything, any allegation which is not substantiated will not go on record. That is our rule. No allegations. Who is the protector of what, let the people say. Let us go ahead.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, I am quoting. It is a fact that the report is there. The report is very clear. I car* quote for you para after para which says that there is a hell of corruption, cases of nepotism, cases of maladministration and all those things and the head of the State...interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Which is the report?...(*Interruptions*)...

SURINDER SHRI KUMAR SINGLA: madam, it is P.K. Sen Gupta Report...(Interruptions)... which they disowned and when MLAs elected by political parties wanted the report to be placed before the House, the State Government chose not to place the report. Why were they hinding it? What were they hiding? That is my issue. Why were they protecting somebody? May be their own party men are involved in a big way...(Interruptions)... My point is, if one sees who are The members of the Wakf Board? What are their political affiliations and what is the reason? And this the same reason that the Chief Minister of the State of West Bengal refused to place the report in the House. Let people know...(Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: But I thought there was an inquiry.

SHRI MD. SALIM: It is in the statement. .. (Interruptions)... It was placed in the House... (Interruptions)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Yes. It was placed in the House after ten days...(Interruptions),...

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, there was a judicial inquiry...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. You will have a chance to speak.

SHRI ASHOK MITRA: Madam, we have set up a commission of inquiry...(Interruptions) ...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: यह बात सच है कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को छिपाने की चेष्टा हो रही है ...(ध्यवधान) यह बात सच है कि मुख्य मंत्री के द्वारा बाध्य हो कर यह करना पड़ा...(स्थवधान) यह बात सच है कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार वक्फ को लेकर हुआ है ...(ब्यवधान) यह बात सच है..(ब्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one second. I think my request is going unheeded. You do not want to hear. It

seems nobody is interested in having a discussion on the wakf property issue. If allegations are made, please support it with facts. I will allow you then. You do not have to be talking to anybody; this side or that side

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, if I make false allegations, you delete it. But I am quoting facts. The Chief Minister refused to place a copy of the report. Is it not a fact? If it is not a fact, delete it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister would answer.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: After ten days, when the House was called, he was forced to place the report on the Table of the House. He did it then.

Madam, surprisingly and amazingly, these great accountability people and lovers of democracy did hide again Annexure 'A', which mentions as to who were the people who looted; and Annexure 'B' which contains the Secretary's comments, answers, where he says he went and saw the Government and semi-Government wakf records. These annexures are not placed before the House.

1 just want to know as to why they are hiding these things. Who are the people who are being protected? Now, if these allegations are made...(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me hear him. (Interruptions) Order, please, he is not speaking to you. He is speaking to the entire House. Let him speak. If you have any other facts, please mention them when you speak. That would also become a part of the record and would be reported. This would help in the government or the Members understanding the position. Let him speak. Let him make his speech.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, if the allegations that are being made are false, let them clarify that these are false allegations.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is going to speak. That is what I understand.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Nobody is going to stop thern.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I hope so. SHRI ASHOK MITRA: Please continue.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, this is a 16,000 property investment in West Bengal—wakf property. The number identified—which are invested.—is 161. The total assessment is Rs. 1100 crores; this is either leased out or sold. Now, there is a standing order of the Government—the hon. Minister has read it out—that they would have to be registered. They would not be able to build multistoreyed buildings so that the Communists and other people...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't go into those things, Mr. Singla. You do not have to go into the ideology of any party here.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: .Madam, my point is simple. It is such a massive property. In West Bengal, Muslims comprise 20—22 per cent of the population. Half the Muslim population in the country lives in three States, i.e. U.P., Bihar and West Bengal. In West Bengal alone, as per the Census figures, the percentage is 20—22. The property that has to be looked after is enormous. I can tell you that the Central allocation for antipoverty programmes in West Bengal does not create that kind of a resource which the wakf property can. Yet the Muslims in West Bengal continue to live in debt and in a repressed condition. This has been their plight for the last twenty years.

If I can give the record of public employment of Muslims in West Bengal; it is just 2-3 per cent in the peon category one-and-a-half per cent in...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The wakf property is not to be used for that purpose.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, I am saying that if the wakf property could be used.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It cannot be used, I know. There are certain direction. I can tell you, Mr. Singla. You cannot divert it for any other purpose. I am sorry. There are certain directions as to how the wakf property should be used. You are not to decide as to how it should be used.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am not saying that. I am only saying that the Central Government's allocation to the State of West Bengal is not even that much as the wakf property which could take care of the 22 per cent Muslim population living in West Bengal alone. What have they done? The track record is a total zero. In fact, the whole Wakf properties are under one political party which is ruling there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry, you are not discussing it in a correct spirit—I am very sorry, Mr. Singla. I am sorry to tell you that we are discussing, in the Calling-Attention. ...(Interruptions)... I am not prepared to discuss a State Government's ideology, please. Don't utilize the time which the hon. Chairman has very kindly given for this Calling-Attention, to make an attack on some ideology of. a party. I will not permit it—not on the shoulders of the minorities, please. Enough is enough. Please discuss, in the true spirit, what is happening to the wakf properties, and I will permit you.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, is it not a fact that the wakf property, which could have helped the entire Muslim community in West Bengal, is taken away by one particular political party? Is it not a fact? Why are you not allowing me to discuss it? If whatever money they have taken was deployed, they could have helped the

Muslims there educationally also. What is the educational standard of the Muslims in West Bengal? What is their status? ... (Interruptions)...

SHRI ASHOK MITRA: How do you... (Interruptions)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Don't try to. ...(Interruptions). You are a Professor; you are a Harvard man. Madam, my point is, the Wakf Board is constituted by the State Government—not by you and me. And who are the people who are on the Wakf Board? The people who are on the Wakf Board are the members of one party. If you permit me to name, I can name. And what property they have taken, I can name. But you are not permitting me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not permitting you, according to the rule. What is permissible according to the rule, you can mention. What is not permissible according to rule, I am sorry, I cannot permit you. I cannot permit anybody to go beyond the rule.

DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL (Maharashtra): Without mentioning names, you can say. ..(Interruptions) ...

SHRI MD. SALIM: Accept the suggestion from the BJP!

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: My whole point is, who are the members of the Wakf Board, and who are their associates, in terms of belting those properties in Calcutta? Who are those people? That is the reason why you don't allow a fair discussion in this House ... (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't have a cross-talk. We are not discussing political parties here.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: My whole point is that the wakf property resources are so much and so abundant that if they are not allowed actually to be taken" away by the leaders of those parties, the question of welfare of the minorities can easily be solved.

You don't need to take recourse to poverty alleviation programmes of the Central Government or the State Government. My whole point is, they are torturing the minorities. It is worse than the Babri Masjid. Every day they are conducting a Babri Masjid on the Muslims in West Bengal.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't know what you are talking.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am talking straight now,

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are not. ..(Interruptions)..

SHRI SURINDER KUMAR SING LA: Hindu fanatics only destroyed the Babri masjid. They are destroying our Muslim brothers and sisters.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): They are betraying the faith of the Chairman in the House to discuss the issue.

THE DEPUTYCHAIRMAN: I do not know what you are talking about.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am talking very straight things.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, you are not, I am sorry. Babri masjid does not come into the picture.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Hindu communalists destroyed only the Babri masjid. But these people are destroying and torturing their Muslim brothers for the last 20 years and keeping them in hunger, looting their properties and taking away all the resources of the; community by collusion with some people. It is not protection alone. They are not only protecting the corrupt"people but they are, in fact, colluding with their In fact, I can tell you the names of 10 sroperties. Who are the members? Of which political party are they members? Dbviously, it is the ruling party, which wants to protect them.

And, one by one,, I can name them if you permit me to do so

उपसभापति: अभी दूसरे सदस्य भी बोलेंगे। खाली दस मिन्नट रह गए हैं। आपने 12 बजकर 17 मिनट पर शुरू किया था। अब दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए। यह देश की प्रोपार्टी का सवाल है।

West Bengal is only a part of the country. If there is any misappropriation there we should discuss it. But there are misappropriations everywhere. प्लोज। अगप

खत्म कीजिए जल्दी । फिर सिकन्दर बख्त साहब बोलिंगे ।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: My whole point is, the wakf properties should have take care of Muslim brothers in West Bengal arid other places. But they have not been properly used. There arc operators in the system. It came to the open in West Bengal. That is my charge. In fact, I have to say, the biggest scandal in a Communists-ruled State in India had occurred there—a scandal of Rs. 1100 crores. You can find 300-400 Sukh- Ram in their party; no* one Sukh Ram but 300 to 400. if you add up like this. (Interruptions).

AN HON. MEMBER: How many Narsisiinhi) Raos?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, it is not fair. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: What are we discussing? Telcom (Interruptions).

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: By laughing, you cannot brush it aside. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: What to do? (*Interruptions*).

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam. I am talking about corruption.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are not discussing corruption of telecom or anything. Please do not bring such issues.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am not bringing them. I am simply saying. ...(Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has to stop. I have other people to be called.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, I am only emphasising that there is the biggest corruption in wakf properties in West Bengal which is to the tunc of Rs. 1100 crores. And all bigwigs are involved. For the first time, in such a regimented society as West Bengal's the biggest scandal has Surfaced. Maybe, after some time, you find scandals after scandals and ex-communists would be...(Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Sikander Bakht Saheab. आपने कुछ सक्तल तो फुछे नहीं।

श्री सुरिन्दर कुम्मार सिंगलाः जी, मैं पूछ रहा हू, मैडम। मैं उसी पर आ रहा हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN. No. I have to call him and I have other people. (Interruptions). In the list which I have, his name is there. We cannot go by the printed list. We have to accommodate other parties also. Please request your party Member to be a little brief. Then everybody will speak. Otherwise, I will adjourn the House for lunch and the discussion would be of no use.

श्री सुरिन्दर कुपार सिंगला: मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैडम, बोलने ही नहीं देते। क्या करुं? ...(व्यवधान)...

They are saying that they have appointed a judicial commission. The question of a judicial commission is not really relevant there. The fact of the matter is that there has to be a thorough investigation. Evidence is still not complete and as Mr. Sengupta himself says, you require more investigation. You cannot trust the police in ,the State. We want that some CBI inquiry should be conducted into the whole affair. Madam, the history of judicial commissions in West Bengal is amazing. (Interruptions). In Murshidabad, hundreds of innocent Muslims were killed. With an big fanfare, the State Government came and appointed Judicial Commission of

Inquiry. What happened'.' After eight years, there is not a report. There was yet another scandal, the earthfilling scandal where a judicial commission of inquiry was established. There was a lot of litigation by vested interests, people who were in power, in authority. And there is no report. My point is that this commission of inquiry under a judicial officer would meet with the same fate. You will have any investigation done.

That is why people in the country are looking farward for a CBI enquiry. I have to put a few questions to the hon. Minister. The Wakf Act was passed by Parliament. I would like to know from the Minister whether he is aware of the report about the wakf property in West Bengal or सारी की सारी वेरना हो गई। मैं एक बहुत हल्का सा not. Did he ever get in touch with them'.' On what date did he contact the State Government? When the issue was being raised in the Assembly, was he in touch with the State Government? It is the आज के कालिंग अटेशन मोशन को अगर मैं पहें responsibility of the Minister under the Act. At di:what point of time did the State Government contact the Minister Did they contact you before the matter was brought in the form of Call Attention Motion before the House or did they do so after that? I know that the Minister has been a member of the Minority Commission also. He has a specific interest in it being a minority man. He is in the majority community in Punjab. He is not a minority man there. But I trust that he takes care of the minority issues more earnestly. Why did he ignore to mention the misuse of wakf property in the entire country in the annual report of the Ministry? (Interruptions). Madam, through you, I want to inform the House that the Muslim brothers are being looted by the Marxist Government in West Bengal. So, it would be proper if a CBI enquiry is held to know the . exact position. The hon. Minister has the power to do so. He need not wait for the State Government's request to this effect. He has the power to do that and he should do that if he is honest in protecting the wakf properties in the country.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, Mr. Singla has concentrated on West Bengal. I hope some of you will concentrate on the rest of the country also. (Interruptions). Not only Punjab, but the rest of the country also. Nobody has said a word about the wakf property in Delhi. I hope Mr. Sikander Bakht will throw some light on the wakf property in Delhi. If the House so agrees, we won't have the lunch hour.

श्री सिकन्दर बस्त (मध्य प्रदेश)ः सदर साहिका, मुझे बहुत ही अपसोस है, रंजीदा हूं कि एक अहमतरीन सवाल हमारे अज़ीज़ दोस्त ने यहां उठाया और अनफारच्यनेटली उस सवाल को जितनी डॉयमेंशन्स है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर मजबूर हं कि इस बहस को निहायत ही एक हल्की सी सतह पर ले आया गया है।

> "To call the attention of the Minister of Welfare to the missuse, massive lease and sale of prime properties of various Wakf Boards in the country by certain individuals and the action taken by the Government in regard thereto '

वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है क्या हिन्दुस्तान में हो रहा हैं। मैं कहना तो कुछ नहीं चाहता लेकिन सुना है, कोई तस्दीक नहीं है, कि बेस्ट बंगाल में कांग्रेस का टफतर भी वक्फ प्रापर्टी में बना हुआ है। मुझे मालुम है, मुझे ज्यादा नहीं मालुम है, मंगर मैं उस मसले पर आना नहीं चाहता है। इसके बनियादी तीर पर तीन पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इस वक्त आपके केंब्रक्फ एक्ट का लीगल पोजीशन क्या है? ला मिनिस्टर साहब तशरीफ ले आए मैं शुक्रगुज़ार हं उनका, मैंने दरख्वास्त की थी उनसे तशरीफ लाने के लिए पहले मैं उसको लुगा। इसका दूसरा पहलू है कि गवर्नमेंट की क्या-क्या कमियां रही है वक्फ प्रापटींज की तहफ़फ़ज़ के सिलसिले में? अनिगत है बेतहाशा है। और तीसरी बात जो मैं कहंगा वह यह है कि खद मेरे अपने फिरके के लोग वक्फ प्रापर्टीज़ के साथ सल्क क्या कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। वेस्ट बंगाल का नामै लेकर इस सवाल को

निहायत महदूद, निहायत छोटा नहीं किया जा सकता सबसे पहले लीगल बात मैं कह लेता हूं, जो कि थोड़ा सी बात में कर चुका हूं।

1.00 P.M.

लॉमिनिस्टर साहब गौर करें और वैलफेयर मिनिस्टर साहब का भी गौर करें। लीगली और टैकिनकली जहां तक वक्फ ताल्लुक है।

They are all in a vacuum

वह खला में हैं क्योंकि आपका 1954 का पेक्ट खतर हो चुका और 1995 का पेक्ट जो आप कहते हैं कि एक जनवरी, 1996 से इप्लीमेंटेबल होना चाहिए था, वह आज तक इंप्लीमेंटेबल नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने उस वक्फ ऐक्ट के मातहत रुखा और रेगुलेशंस किसी चीज के बनाए नहीं हैं। वह मैं पढ़ सक्ता है कि—

"The same Act would lay down the rules and regulations..."

रूत्स और रेगुलेशंस से क्या होगा?

would lay down the particulars which the Report of the Survey Commissioner may contain, the manner of the election of the members of the Board,.."

अब आप कह रहे हैं कि कहीं वक्फ बोर्ड बन गए हैं। यह जो स्टेटमेंट है—

I am sorry, this is a very cold statement. "This is not at all equal to the problems which have been created because of the misuse the abuse of wakf properties in India," This is a very cold statement.

जिस किसी ने यह स्टेटमेंट बनाया है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि फलां-फलां, यानी 3-4 स्टेट्स का नाम लिया है कि वहां वक्फ बोईज बन गए हैं। क्या मतलब है इसेंका ? वक्फ बोर्ड का बन जाना काफी नहीं है। क्कफ बोर्ड को बन जाना काफी नहीं है।

Have they been elected according to the new method of election prescribed in the new Act?

तो इन सब चीजों का जवाब आना चाहिए। यह ते बिल्कुल कोल्ड स्टेटमेंट है। कोई मतलब नहीं है इसका।

Today the bad point is that the 1954 Act stands annulled.

1954 का ऐक्ट मौजूद नहीं है, 1995 का एक्ट इंप्लीमेंटेबल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेट्स को जो यह ऐथोरिटी मिली है, आप अपने मौजूदा ऐक्ट का क्लाज 14(2) और क्लाज 109 टेक्किए, उसके मातहत स्टेट गनवीमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशीस बनाने हैं। अब उसका इलाज क्या होगा! उसके इलाज के लिए—

You will have to go to section 113.

अगर कोई कानूनी मुश्किल आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका हल निकाल सक्ती है, उसका अख्नियार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दो ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन को मैं कमजोर आँप्शन मानता हूं। जो मुनासिब आँप्शन है, वह यह है कि आप सेक्शन 113 का सहारा लेकर मौज़दा सक्फ बोर्डों की जिंदगी को बढ़ा दीजिए कि जब तक स्टेट गवर्नमेंटस रूत्स और रेगुलेशंस फ्रेम नहीं कर लेते हैं. उसके मातहत वक्फ बोईज की तश्कील नहीं हो जाती है, उस क्वत तक मौजूदा क्कफ बोर्ड केटीन्यू करें। दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि आप पेडमिनिरट्रेटर मुकर्रर करें मगर वह कमज़ोर ऑप्शन है। तो बेहतर ऑप्शन यह है कि आप मौजूदा वक्फ बोर्ड जारी रखें, उनकी जिंदगी को बढ़ाएं। यह बात तो सद्रर साहिबा, मैंने कानूनी तौर पर कुर्ती है, जिस पर लॉ-मिनिस्टर साहब और वैलफेयर मिनिस्टर सहाब को तवज्जह देनी चाहिए।

महोदया, मिनिस्टिर सहाँच ने जो स्टेटमेंट दिया है, यह कोल्ड तो है ही साथ ही ब्यूगेकेटिकली भी करेक्ट नहीं है। कोई यह बनाने खाला नहीं है कि आजकल के दक्फ बोर्ड There are leading their life in a vacuum. Nobody has bothered.

तो मेहरबानी करके यह तकलीफ करिए कि इस कमी को दूर करके मौजूदा वक्फ बोईज़ की जिंदगी को कानूनी हैसियत दीजिए, इनकी जिंदगी को एक्सटेंड करिए और स्टेट गवर्नमेंट्स से कहिए कि वह रूस्स और रेगुलेशंस नए क्कफ ऐक्ट के मातहत बनाएं।

एक बात मैं गवर्नमेंट ऐटीट्यूड की भी कहना चाहता हूं। गवर्नमेंट से शिकायत तो मैं बाद में करंगा, पहले मैं बात करना चाहता हूं अपनी कम्युनिटी से कि वक्फ बोर्ड आखिर किसकी अमानत हैं? मेरी कम्युनिटी किसी के हक मारने को अजीमतरीन गुनाह मानती है। वक्फ बोर्ड अमानत है बेसहारा लोगों की, वक्फ बोर्ड बेसहारा औरतों की, वक्फ बोर्ड बेसहारा औरतों की, वक्फ बोर्ड बेसहारा औरतों की, वक्फ बोर्ड बेसहारा है। मैं हैरान हूं कि हम लोगों ने अपने आपको नारों के समंदर

में गर्क कर रंखा है लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रापटी के सिलसिले में जो दर्दमंदी हमारे अंदर होने चाहिए हम उस दर्दमदी का अहसास नहीं रखते हैं।

अगर वक्फ प्रोपर्टी की तरफ जातीय इस्तेमाल के लिए या किसी करए' इरादे से हाथ बढ़ाता है तो उसकी अंगुलियां जल उठनी चाहिए। मगर अंगुलियां तो जब जलें जब मेरे अंदर दर्दमंदी के जजबात जाग चुके हों कि यह अमानत है, यह अमानत पूरी की पूरी एक फिरके की अमानत है, गरीबों की अमानत है, औरतों की अमानत है, बेसहारा लोगों की अमानत है, बेवा की, यतीमों की अमानत है। मगर अंधाधंध लूट चल रही है। दर्दमद दिल को कहां से तलाश करूं।

> "सरमद गम-ए-इश्क बुलहवस रा न देहन्द, सोज-ए-दिल-ए-परवाना मगस रा न देहन्द।"

अब दर्दमंद दिल कहां से पैदा होगा। खदा ने दर्दमंद दिल सिर्फ उनको दिया है जो गमे इश्क दिल में पाल सकते। बलहवस दर्दभंदी की कीमत नहीं समझ सकता। परवाने की दिल की दर्दमंदी के सोज को दर्द को मिक्दियों के दिलों में नहीं उतारा जा सकता। हम लोग बेरहम हो गए हैं। मैं वक्क बोर्ड की हैसियत नहीं जानता। सिंगला साहब ने जो इस्जाम लगाया है दरस्त है. गलत है, क्या है मैं उस पर पड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह अंधापंध लूट हिन्दुस्तानभर में हो रही है। दिल्ली के वक्फ बोर्ड का सदर साहिबा, आपने जिक्र किया। मैं कोई सार्टिफिकेट दिल्ली के वक्फ बोर्ड को देना नहीं चाहता हं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हं कि नया अक्फ बोर्ड जो बना है वह कोई डेढ़ साल, दो साल पहले बना है। इस वक्फ बोर्ड के बनने से पहले उसकी आमदनी एक लाखा चवालिस हजार रूपया माहवार थी। उसके अखराज़ात पूरे नहीं कर सकती।

इसके आने के दो साल के अन्दर साठ लाख रूपथा सालाना से ऊपर की आमदनी हो गई है और यह उस सरत में हुई है वक्फ बोर्ड का रिजोल्यशन पास हो चका है कि अब वक्फ की कोई प्रोपर्टी न लीज पर दी जाएगी, न बेची जाएगी। लेकिन अब कहां जा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पूरा सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता हूं दिल्ली वक्फ बोर्ड को। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिल्लो के अंदर दिल्लों के कोर्ने-कोने में वक्फ की जो प्रोपर्टी फैली हुई है उस पर वे भरपूर इंतजाम कर चुके हैं। लेकिन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसके बाद खेद मेरा अपना फिरका क्या कर रहा है। मेरा अपना फिरका इश्तहारात निकाल रहा है, मेरा अपना फिरका प्रदर्शन कर रहा है, मुजाहरे कर रहा है। फिरके में कौन

लोग हैं जो कर रहे हैं वह कर रहे हैं जो कल तक लुट के हिस्सेदार थे वह आज इस वक्फ बोर्ड के कदम नहीं उठने देना चाहते हैं। जो मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं इनसे सवाल क्या करूं मैं सवाल पूरी मिल्लत से पूरे फिरके से करना चाहता हूं कि **हम कितनी हिफाजत** अपनी इस अमानत की कर रहे हैं। हमने अंधाध्ंध लूट पर कमर बांध रखी है और शरमाते नहीं और बदकिस्मती यह है कि मुझे रोना अपने फिरके की बेहिसी पर है। यह जो उन्होंने अपने मीहतरम दोस्त ने सवाल अयोध्या और इससे जोड़ा है बिल्कुल अलहदा है लेकिन यकीनन दुनिया के हर मुश्किल से ज्यादा नाजुक सवाल है—ह्कूकुल इबादा गुनाह-ए-अजीम । हमारे लिए किसी को अमानत में ख्यानत करना गुनाह-ए-अजीम है। ...(स्पर्वधान)

H نن*ى مىكندادىخ*ەت خموھىيە *بېردىي*ش^ى: مود صاحبہ۔ پیجیبہت ہی فسسس ہے ۔ دیجیوہ کی د (بهوی سوال بهارس و مست ندیدان كؤائر ميں يوسوں تو-آ

> "To call the attention of the Minister of Welfare to the misuse, massive lease and sale of the prime properties' of various Wakf Boards in the country by certain individuals and the action taken by the Government in regard thereto."

المديسي بشكال مين كيام ورياس علا

^{†[]} Transliteration in Arabic Script.

مين كناف يح نبورجا بتامكر سناسع كن المعيكينسادى لموريرتين ببيويس -ايتسبيلو تويب بيئه السوقيت لاينك وقعف للكث كالبكل پوزیش کیاسے - لامندہ صاحب تعثوبینسے کا کے بی*ی مشکرگز او بعیل انعاسمیں ندورخوام*یت السنونون لكا -(مسكاد ومعدا ببرله سين كه كودكمنت ی کیا که کمیاں سری ہیں۔ وقف پرابری سے تحفظے تے معیامی موں۔ ان گنت میں ہے وه بربع کردودمیرے اپنے فرقہ سے نوک وقف باجا سلتا-سب سعيميه ليكل باسمين شه صاحب می زورافود تزیس بیکی يع-"دسه دارال ان ويسليع"-مه خلامیں میں کیونکتار رکیا م 190 کا

الكنشعة بهويزكا اور 1940 كاجه اليكث جو قعت ا بکٹ کے ما تحت دوںزا وردیکوش دیے بنائے کیس میں - وہ س بوه سکتا بول که -]

> "The same Act would lay down the rules and regulations..."

[ودنزاهد دیگولیش بسے کیا ہم گا-آ

"...would lay down the particulars which the Report of the Survey Commissioner may contain, the manner of the election of the members of the Board ... '

1 am sorry, this is a very cold statement, "this is not at all equal to the problems which have been created because of the misuse and the abuse of wakf properties in India." This is a very cold statement.

الص تقوي برامستنفيد بنامايد-د خوں نے براں تک کہ دیا ہے۔ کہ فلاں يدِ ۔ وقف بورڈ سے ہیں توکیسے بنے ہیں؟

Have they been elected according to the new method of election prescribed in the new Act?

الآتوان سب چیزوں کاجواب اُ ناچلیئے۔ یہ توبادکل کولڈ اسٹیٹمنٹ ہے کوئ معلب بنیں *ہے اسکا*ت]

Today the bad point is that the 1954 Act stands annulled.

المامه المادیک موجود بین ہے۔ 1990 کا ایکٹ امپیلیمینیٹیل ابی بیں ہے۔ تواہ پکوکیا کڑناچاہیئے۔ اسپیش کہ جریہ القادئی می ہے اپ اپنے موجودہ ایکٹ کا کلائد (۲) ادا دور کلائے 10 (دیکھیے کے اسٹیے ما تحد اسٹیٹ گارٹمنٹ کودولز اود دیکو لیٹس بنانے ہیں ۔ اب اسکا علاج کیا ہو گا۔ لیسکے علاج کیلے کے

You will have to go to section 113.

۱۱۱ گرنی آن کی مشکل این تو مسئول گوگفت اسکاحل نکال مسکتی ہے۔ اسکا اختیاد میم اللہ کا مسکوللہ گورنم مندہ سکہ پاسی ہے۔ ایک پاس السکے ملاہ کوی چامدہ بہنوں ہے دو اک بیشی موجھ کیس اسمیں ایک اکبشی کو تو میں کم (ور اکبیش ما نتا ہوں۔ جو مناسب اکبیش ہے سوہ یہ ما نتا ہوں۔ جو مناسب اکبیش ہے سوہ یہ کراپ مسیکشش ۱۱۱۷ کا مسہال لیکر موجودہ وقاف ہوں کے ووں ک ڈنڈگ کو بوصاد ہے ہے۔ حبب تک اصیر شری گرزمند مس دونز این کی دیگولیشن فرج کنین کریتی ہے ۔ ایسے ماتحت وفف بود کوک تعثیل کنیں ہوجاتی ہے۔ اسوقت تک موجودہ وقف بود ڈ کئی ٹیو آپ ایڈ مشعر پھر مقرد کریں مگروہ کرود آپ ایڈ مشعر پھر مقرد کریں مگروہ کرود اس بود ڈ جا دی سکیس ۔ انکی دلائل کو مؤسل ہود ڈ جا دی سکیس ۔ انکی دلائل کو مؤدیر مکھی ہے ۔ جوں پر لا مشعرها ہے۔ قانون میود ہے ۔ مشرصا ہے۔ والیا مشعرها ہے۔ دیاہے ۔ یہ کولڈ ٹو ہے ہی ۔ ساتھ ہی ہیروکریٹلی می کریکٹ بیس ہے۔ کول یہ بتانے والا پنیں بی کریکٹ بیس ہے۔ کول یہ بتانے والا پنیں ہیں کریکٹ بیس ہے۔ کول یہ بتانے والا پنیں

They are leading their life in a vacuum Nobody has bothered.

تومهربان کوکید تعلیت کویط کا اسمق کمک کود ودکوک موجوده و خف بود بی کرندگی کوخا نونی حیننیت پیسجدا - (نکی زندگی کو (پیکسفین و کریده - اور دسیشت گود نمنده سے کہنے - کہ وہ دو نز اینڈ مریگولیشن سے وقعت بود ی کیا گئے ما تحت بنائے - یا دیک با من میں محود نمندہ ایشیشد و کی می نہنا چا بہتا ہوں - گورنمندہ میں شکامیت تومیں بعدمین کو ونگا - پہلے میں بات کرنا چاہتا ہی

^{+[]} Transliteration in Arabic ScripT

اینی کمیونی مید- که وقعت بورد آخریس کی امانىت بى-مىرى كميۇنى ھتوقى العبادمىر ىيىن رئىتى بى - مىرى كىيونى كىكى سے حق مارسة توعظيم ترين كثناه مانتى بع-وقف بورد د مانفت سے سب سماد اور کوں کی-ب سمار د ورتول ک-بیرودس ک-رتیم یی ى اما نتى بى - يىن چران بى دى بىم دۇرى ن ابيدا يتونون كسمندر مين غرق كوركا ہے-لیکن وقف بورز کی برابری کے معلسلہ مس حودد ومندی برا دسه (نرمربوی جایته بم اس د دومندی کااحسا مس پنیں دیجھے ہیں الأوقعف بودفئ كالإلبرقي كالإنداق استمال كَيْلِكُ يَا كُرِيثُ او در حصيب بالخف بمعا تا ہے۔ تواسئى انكليان حل المنى چاسية - مكرانكليان توجب جلی*ں جب میرصا نوا*د در د مغو*ی کیجزا*ل جاك ييك بهول- كديه (ما منت مهد سيهمانت يودى ئۇيورى دىگ فرقە كى امانت بىر . غریبوں ی (ما دخت ہے۔عودتوں ی اما دخت ہے۔ بدرسهاد دوگان کامانت ہے۔ بیوہ کی بیٹیم ی ک (ما منت ہے۔مگر نرحا دھند ہوٹ چل ہی ب درومندول کوکهان سے تلاش کوون -: مسمعرغم فمنشتق بوالهوس فحرامة وحعنف مسولان برودن مكش دان دحند ابددد مذدل كهال يسي بيوام وكا-خواب همف ووومندول عرف انتوديا بيد-جوتم. عشق دل میں بال پسکتے ہیں-بوالہوس دومنوں

ى قىمىت بىس سىجە سىكتا- برولىدىكىلى ي ودومغرى كم موزي دودي محييق كادلول میں نہیں (تاردجا سکتا- ہم دیگب رحم ہوگھ بین-میں وقف بور ای حیشت بنس جانتا مستغلاصاصسن جوالزاع لكاياب غلطه-کیاہے۔میں اس بریزنا نیس جا بھا ہوں۔ ليكى يهانزها وصنعوبشهمعنومشال ميں مهوبی ہے ۔ دتی سے وقعت ر ری کا صوفاحی آینے ذکرکیاہے۔میں کوئے سرتین ککٹ دی ک وتعذبودي كوديثا بنين جا مشايول-ليكودي حرور كهناجا مبتايي كمه نيا وقعث بور وجوبنابع وهؤئ لخ يؤه دوسال يبيه بنابع اس مقت بور فخ تسين يسي بيدا ميل ا مون ايك للحك چوالیس بزادروبدیا هوادش- اسک افزاط بودر بنين إمعلى فق-العكة نسك وسال كانورسات لا كالكومويد ما باد يعداويرى ه من موکی که - اوریه اس صورت میں مهوئ بيع. وقعت پورد کا د زونوشیای معرفيكا بيدار دب وقف بورد كاليرويرى ليزيرين دى والك - د بيعى واليك -ليك أب بكال جادب بين كوركم بويين والله بنی ہے۔ میں پور اسر تینکیدے بنیں دینا جاتا بهور - دی که وقف بور د کوکارسا بني بعد الفعل في كالأرد ي كالأرد ي كالم کونے میں وقف ک جوہ (لاکی جیدی مہوی ہے۔

ركينش مين جارسے بيس - تورسيع بودوه متعادات نكال *ربا بيع-ميرا دينا فرقه بر*وين را ہے۔منظاہیے کردیا ہیں۔ فرقہ لوك بين-جوز كريج بين- وه كرريع بين ه کا تک دی شی کے معدداد ریخان کا کا اس وقف بوری کی تعام کیس لعکف و پرناچایی وں- میں سوال دری ملت بیبر لوث یرفکر با نوهادی سے - دودمشرما نتینسی-بيعادي رونا اليغ فدق كي الربيع يهجوا فعول في اليف مخرم ووم وال ايود وراور ليع جوادا مه - باريل العباد الناه عنده مهادر يوكنون امانت میں خیانت کرنا گذاہ محقیم ہے "مواضحة E

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: बाबरी मस्जिद का क्राईम भी क्राईम है। इससे वर्स्ट क्राईम हर रोज वहां हो रहे हैं। तो मैंने आपको यह नहीं कहा कि वह क्राईम नहीं है। मैं कहता हूं कि यह हर रोज क्राईम हो रहे हैं, बच्चों पर हो रहे हैं जिनको एजूकेक्शन फेसिलिटी दी जा रही है। बुजुर्गों पर जो बेवा है उनको नहीं मिल रहा है। हर रोज यह क्राईम हो रहे हैं। तो यह क्राईम कम नहीं है। उपसभापति: आप बोल चुके हैं। सवाल यह है कि ...(ट्यवधान)

Just a minute. Please let mc put the things properly. I would request you again, please don't bring the issues which are sensitive. Babri Masjid has nothing to do with the Wakf property which we are discussing today. What happened then is a different story. I am again reminding you. Please, don't politicise it. If you are concerned about it... (Interruptions). It shows, that you are not concerned about it. It shows that you are concerned about something else. I am sorry. (Interruptions). Mr. Sikander Bakht, when I refer red to(Interruptions). Please, don't politicise the whole thing.

श्री सिकन्दर बखाः सदर साहिबा, मै इस समय बहुत दर्द के आलम में खड़ा हुआ हूं।

[स्ट्रियार्थियः क्रियां क

उपसभापति: सिकन्दर बख्त साहब, जब मैंने वक्फ के बारे में कहा था तो---

I was not referring to Wakf Boards. 1 was referring to Wakf properties which are yet to be decided. A decision has to be taken about 102 or 105 properties. Some decision has to be taken about that. We are discussing it in the Wakf Council. 1 am sorry. I am putting this input because perhaps I am the only one who has been involved with this subject for the last 10 to 12 years being in the Wakf Council. That is why I am putting this input.

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिना, मैं सिर्फ वनक पर बोल रहा हूं। बदिकिस्मती यह है कि एकाध इस तरह की कोई बात हो सकती है जिसमें कोई पहलू सियासत का निकल आंखा। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। मैं यह कहना खाइता हूं कि दिल्ली में इम बैठे हैं। दिल्ली की हुकूमत किस ऐक्ट के मातहत बनाई गई है? वह लंगड़ी-लूली है। बहुत सारी खीजें मस्कन्नी सरकार ने रखी हैं, क्यों रखी हैं मैं जानता नहीं। दिल्ली के लोगों

^{†[]} Transliteration in Arabic Script.

का फ्रेंचाइज़ अधूरा है लेकिन यहां बैठा हुआ मैं दिल्ली की जामा मस्ज़िद के बारे में इस हुकूमत से सवाल नहीं करना चाहता, पिछली हकुमत में जो लोग बैठे हुए थे. उनसे सवाल करना चाहता हूं। क्या उन्होंने दिल्ली की वक्फ प्रोपर्टी की स्पिरिट में दिल्ली की जामा मस्जिद का सीदा किया है या वक्फ प्रॉफ्टी की अहमियत को समझते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद का कारोबार इंतजामिया चलना चाहिए? सियासी तौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद बेच दी गई है। इमाम किसी मस्जिद का मालिक नहीं हो सकता है। आपने इमाम को दिल्ली की जामा मस्जिद का मालिक बना दिया? मुझे मालुम नहीं कलकता में क्या हो रहा है? दिल्ली में मेरी नज़र के सामने, आपको नज़र के सामने, आप सम की नज़र के सामने जो कुछ हो रहा है वह सक्फ की मिल्क के साथ डाका है। दिल भरा पड़ा है। पहला वक्फ बोर्ड, माफ करें वही सियासी बात है. मैं कहना नहीं चाहता था. किसने बनाया था? किसका बना हुआ था? दिल्ली की आमदनी एक दो साल के अंदर बढ़ कर। लाख 44 हजार महीना से 7 लाख महीना कैसे हो गई जबकि तमाम लीज को आपने बंद कर रहा है? यह बेची नहीं जा सकती है। क्या मेरे अज़ीज यह सवाल करेंगे कि कल दिल्ली में क्क्फ बोर्ड में क्या हो रहा था? मैं हिंद्स्तान भर की बात कर रहा है। वक्फ बोर्ड का पसला परे हिंदस्तान में रहने वाले मसलमानों का मसला है। वक्फ बोर्ड को अगर हम कायम करें तो यह फिरका, मेरा फिरका हिंद्स्तान में किसी के सामने हाथ फैलाने की उसको जरूरत न रहे। यह जो आज रिज़र्वेशन का दौरा पड़ा है, हमें रिज़र्वेशन के लिए मीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपनी इमलाक की हिफाज़त नहीं कर सकते हैं?

सदर साहिका, खाली दिल्ली वक्फ बोर्ड का ही सवाल नहीं है। हकूमत के बारे में बहत कुछ कहना चाहता है लेकिन बनियादी सवाल यह है कि वक्फ बोर्डी की हिफाज़त करने का अगर मैं तय कर लूंगा, मेरा फिरका तय कर लेगा तो बैतुलम्गुल बर्नेगे। एक-एक ज़िले में बैतुलमाल डोगा जहां गरीबों और यतीमों की तालीम का बंदोबस्त होगा और बगैर सूद के रूपया मिलेगा मगर अगर मैं डाका डालना छोड़ दूं वक्फ बोर्ड का तभी तो बैतलमाल—बन सकता है। मुसलमान की सबसे बंडी बदिकस्पती यह है कि 1947 में मुल्क तकसीमा हुआ तो तालीमयाकृता बाहैसियत मुसलमान माइग्रेट कर गया, पाकिस्तान चला गया। मुसलमान समाज की तालीमी सतह गिर गई। पहली चीज़ जिस तरफ नज़र होनी चाहिए समाज की वह यह है कि

भसलमान उस तालीमी सतह को दोबारा हासिल करें ताकि समाज में जो उसका मुकाम गिर रहा है, वह न गिरे। क्ष्मफ बोर्डों की इमलाक की अगर हिफाज़त की मेरा फिरका कसम खा लेगा तो मुसलमान बच्चा पढ़ेगा।

श्री सिकंदर बख्त: मैं उसके लिए तालीमी इदारे कायम करूंगा। मैं बेक्षाओं और यतीमों के लिए बेतुलमाल बनाउंगा। मसर हमने उस वक्फ बोर्ड पर आंखें बंद कर ली हैं। दनिया भर के सवालात है। आज भी हम समन्दर के गर्क में हैं. नारों के समन्दर के गर्क में हैं लेकिन जो हमारा फर्ज हैं. जिस अमानत का एहतराम करना, जिस अमानत की हिफाजत करना हम पर फर्ज है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। यह जो मिनिस्टर साष्ट्रब, वजीर साहब कोल्ड स्टेटमेंट लेकर आए हैं, आपने इसमें कहीं-कहीं जिक्र तो किया है, मैंने अंडरलाइन कर लिया है कि इम्मुखेबल प्रापर्टी में....

"Ban on alienation of Wakf properties under Section 51 of the Act by virtue of which a gift, sale or exchange or mortagage of an immovable Wakf property is void, if it is made without prior sanction of the Wakf Board".

कहां है वह? कहीं एक जबंह पर कदम उठाया है? आप उठा ही नहीं सकते हैं। लिमिटेशंस से कहां आपने वक्फ की प्रापर्टी को आजाद किया है? कहीं नहीं किया है। हजारों-सैकड़ों साल पहले से जो किराप् पर वक्फ प्रापर्टी उठी हुई है जो बेशबहा है, जो बेशकीमती है, वे मामूली किराए पर उठी हुई है। जो क्क्फ की प्रापर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट की जंजीरों में बंधी हुई है, क्या आपने उसको आजाद कराया है?

"The Central Government has been pursuading the State Governments to implement the provisions of the Act by constituting Wakf Boards and Wakf Tribunals."

आपने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में सिर्फ दो इल्लोगल सेल और लीज के मामले हैं। मैं कहता हं कि हजारों दिल्ली में है और करोड़ों दिल्ली के बाहर हिन्दुस्तान के हर कोने में, हर सूबे में और हर जिले में फैले हुए हैं। मुझे आप माफ करिए, अगर सिर्फ मकेनीकली गवर्नमेंट मूव करती रही तो वक्फ की प्रापर्टी का कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को अपने दिल के अंदर क्क्फ प्रापर्टी के लिए दर्द जगाना होगा, दर्दमंदी पैदा करनी होगी। एक-एक वक्फ प्रापर्टी को उन जंजीरों से, जिनमें वह बंधी हुई है, आजाद करना होगा। कमाल

हो गया है, आप कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ दो हैं! खुदा जाने कितनी होगी? आप कहें तो फैहरिस्त बनवाकर आपको खिद्मत में पेश करवा दुंगा। सदर साहिबा मैंने घेटी सून ली है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हं कि फॉर गाँड सेक, बक्फ के मामले को पॉलीटिकल मत बनाइए।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: पॉलीटिकल आदमी मौजुद है।

श्री सिकन्दर बख्तः पॉलीटिकल आदमी मौजूद है तो पॉलीटिकल आदमी कहीं तो अपनी सियासत को माफ करें। पॉलीटिकल आदमी खालिस तौर पर यह सोचे कि यह किसकी अमानत है? हकूमत यह सोचे कि यह जिसको अमानत है, उस तक पहुंचाई जाए। सोचना शुरू करिए। कोई अमल नहीं है। आपको कॉन्फ्रेंस हो जाती है। सैंटल क्क्फ काउंसिल आपकी स्टेट गवर्नमेंट के इंख्तियारात् है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन सैट्रल गवर्नमेंट के भी इंख्तियारात् है। सैट्रल गवर्नमेंट उस इंख्तियारात् को काम में नहीं ला रही है। सैंट्रल गवर्नमेंट क्कफ की प्रापर्टी को रिलीज नहीं करवा रही है। तो मेरी वजीर साहब से दरखनास्त है कि सबसे पहला काम तो आप लॉ मिनिस्टर की मदद से यह करिए कि मौजूदा एक्ट को इम्प्लीमैटेक्ल बनाइए और फिर उसके बाद अगला कदम उठाइए और हो सके तो वक्फ प्रापर्टी को आजाद करवाकर, उसकी अंबीरों को तोडकर उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी अम्बनत वक्फ बोर्ड है।

۱۴ خواسلنوبخت: صورماحد- میں مرف ئىرف بنيى يە-مىن يەتىناچا بىنا بىرى كە دى س بم معقى بس- دى ئ كاحكومت تكى

يبال سيماميه (مين دئي ي ها مسيحه چارښارين- کڼا (غورېينے ديې ي) و حامرمسی بربیودی کی ہے - ا مام کسی معجد كامالك بنى بوسلكا بدا بغامام كردن كرسا غو درد سعدل مور دورس ميلاوقت بودی- ساف مرین مهی مسیاسی باشهد. مي*ن بكتا بين جلجا ها-كسن خبا*يا ها -تس كابنالم مواقعا - دقى كرمين ايك دو سال کے اندر وصر ایک لای جوالیہ خامهگی ہے۔ کیامیرے عزیز *ا* مين معندومستان معرى بامت مرمريا. بودن كامسك يوسعهندوستان ميس رجف وللصسلمانون كامستيدييه وتغببوبي كو

"Ban on alienation of Wakf properties under Section 51 of the Act by virtue of which a gift, sale or exchange or mortagage of an immovable Wakf property is void, if it is made without prior sanction of the Wakf Board."

"The Central Government has been pursuading the State Governments to implement the provisions of the Act by constituting Wakf Boards and Wakf Tribunals."

مغرى سرينور كما دستكله: باليثنا الذي

يت كرسماف كريس - ياليشكل الوص

خالعى فورىر يرصع جيمي دكريد كنش كرامانة يوي - حكومت يرسع على يه جسد/ ما منت

श्री फोहम्मद् सलीमः महोदया, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और मंत्री महोदय का जो जवाब आया है उससे डिस्करान धोड़ा बहक गयी थी। अभी हमारे सिकंदर बख्त साहब ने डिस्कशन को ठीक टॉपिक पर लाने की कोशिश की है। हमारे सदन में ऐसे माननीय सदस्य है, जो इसे और भी अच्छे ढंग से मून कर सकते ये लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता। मैं इस बात से सहमत हूं कि वक्क का मामला बड़ा गम्भीर है, यह बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में इसकी शुरूआत मुल्क की तकसीम की वजह से, पार्टीशन की वजह से हुई। आज जब हम आज़ादी के 50 साल मनाने जा रहे हैं, तो हमारे मुल्क की वक्फ की मिल्कियत की वर्बार के भी 50 साल मना सकते हैं। जिस तरह मुल्क के दूसरे सूबे में, चाहे वह अर्थ नीति हो, राजनीति हो, चाहे हमारा समाज हो, हम जो बदहवाली देखते हैं, जिसको

देखने के लिए कानून, जिसको देखने के लिए

हकुमत---राष्ट्रपति से लेकर, पार्लियामेंट से लेकर स्टेट गुवर्नमेंट तक ज्युडीशरी काम कर रही थी। लोग जो मुतल्ली हो सकते थे, जो वाकिफ थे, जिनके खानदान ये और वक्फ की लोग हिफाजत कर सकरो थे। बतौर सिकन्दर बख्त. जो तालीमयाफुता लोग, सोशली कांसेस, कामीटिङ, डेडीकेटिङ लोग और उनकी जो लीडरशिप थी. वह पार्टीशन करके, माइप्रेट हो कर चले गये। उसका सबसे ज्यादा असर बंगाल और पंजाब पर हुआ। पंजाब बीरान हो गया, आज भी बीरान पड़ा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेकर के बंगाल तक ऐसा हुआ लेकिन माइग्रेशन बंगाल में पंजाब के मुकाबले कम हुआ था। पंजाब में शहरी क्षेत्र में ज्यादा हुआ और हंगाल में रूरल एरिया में **कम हुआ। प्रोपर्टीज के** मामले में बंगाल में रूरल एरिया में माइनारिटीज कम्युनिटीज मुशिंदाबाद को छोड़कर के या एक दो जिलों को छोड़ करके ये ज्यादा रिच नहीं थे। मैं हिस्ट्री की बात कह रहा हं। पंजाब में ऐसा एनक्षीचमेंट हुआ। बंगाल में 1947 से लेकर 1960 तक हुआ। आप अगर देखेंगे तो उस समय माइनारटीज का कोई लीहर, पोलिटीकल पार्टीज का कोई लीडर क्क्फ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता था क्योंकि सोशल कंडीशन ऐसी थी, सियासी कंडीशन ऐसी थी। आज यह बात उठ रही है. अच्छा है। माइनारिटीज में नई जेनरेशन आई है। वक्फ का इस्तेमाल तालीम के लिए, तरकी के लिए, माली हाजत के लिए उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वक्फ की मिल्कियत जो है, उसकी जायदाद जो है उसका सही प्रयोग होना चाहिए इस बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं और उठाना चाहिए। यह कानून तभी है, जो कानून 1950, 1955, 1960, 1970, 1980 में होना चाहिए था वह 1995 में आ करके बना। कहीं भी अगर लैंड हो, प्रोपटींज हो, रिअल एस्टेट हो तो इसमें नेशनल इन्टरेस्ट तैयार हो ज़ाता है और इस नेशनल इन्टरेस्ट की वजह से पूरे मूहक में जो सक्फ की सबसे बड़ी प्राब्लम है वह एनक्रोचमेंट है। मैडम, मिसेज इन्दिरा गांधी ने 1977 में यह कहा था कि एनक्रोचीयट को वक्फ से हटाना चाहिए और अगर नहीं हटाते हैं तो उसकी एडीक्वेटली कम्पनसेट करना चाहिए। न तो वह एन्क्रोचमेट हुआ और न ही कंगेनसेशन हुआ। अगर वह एन्क्रोचमेंट होता है तो जितनी प्राइम प्रोपर्टीज है उनका फायदा वक्फ को होना चाहिये, कम्युनिटी को मिलना चाहिये, समाज को मिलना चाहिये और पूरे मुल्क को मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। इस मुल्क की समसे बड़ी एन्ह्रोचर्स वक्फ प्रोफ्टों की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट

आफ इंडिया है, डिफॉर्ट स्टेट की गवर्नमेंट है। इतना बही ही॰ही॰ए॰ दिल्ली डेवलपमेंट आधरिटी, आर्गेनाइव्ह एन्क्रोचर्स, जिसका नाम डी॰डी॰ए॰ है। एक तरफ एन्क्रोचमेंट है और दूसरी तरफ जब उसको डेक्सप करने का सवाल आता है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का सवाल आदा है, उसके इस्तेमाल की बात आती है तो उसको कौन देखता है? खुले आम उसको बांटा गया है। दूसरे कामों में उसको लगाया गया है और दूसरी तरफ हैं पालिटोकल लीहर्स एंक्रोचर्स। क्योंकि वे गवर्नमेंट चलाते हैं, पुलिस को भी केंद्रोल वही करते हैं, हकुमत भी वही करते हैं। अभी श्री सिकन्दर बख्तजी ने कहा था, सही बात है, हमें भी अफसोस है। लेकिन बंगाल में लेफट फ्रन्ट गर्क्नमेंट के बाद भी कांग्रेस का दफ्तर वक्फ प्रोपर्टी में बना हुआ है, उसको हम उखाड़कर फैक नहीं सकते। इतना तो वहां हुआ है। जो सवाल अभी उठा है तो साइमस ठठाकर रखा दिवा है, क्योंकि पश्लिक को देखना नहीं चाहिये :

المترى محدسلة لبشمى بنظال: مهود عدو وصيان الكرمش برنستا وسيعون اورمنترى مهودسد كاجوبواب كربيه - اس عد تعولى ومسكست ببلك مي يد - ايي بماري م بخنت مراهدست يوسكنش كويم لانے پارکوشش کی ہے۔ پھادیے م مأنيغ مسرصعهم جراسيداودي إج سع مود کرسکتے ہیں -لیک میں کشی کانام اپنی ك وقف كا حا ملديه بولعيني بريع ترمما دير ملک میں اسمی شویمات ملک میں تھ ئى برادى كەبى منامىيكى بىن -ج

^{†[]} Transliteration in Arabic Script.

ک دومرے مشعبدی میں جاہے وہ ادبومی بو-دا نيش بو-چاپه بمدامه اي بو-بع جوبرحای دیکھنے ہیں۔(مسلوحسلودیکھنے كيكير قانون - حبسكود يكفيغ كتيكرُ حكومت -ر د شره بنی سعه دیکر- پاد دیرمنده صعه دیگرامیشت گودنمنیش کک - حدود بیشیری کام کرم بی تقی -

اسك باوجود ممارے ملك مين اتى دوھ -د تناعبر شطی ار- اتنی د معاندی میمی **او**ر وقد كيلك تا ذون بنازمين بي تيس ثيس سال کردیگے کا ذان بنانے بعد لصے لاگر

بنس كياكياجب است بادے ميں تيمقرين ثو كإجانا ببيدكوه ثواويرولس ك ملكسته

اوداويروا يربى اسماعروس سيساتى اتن وقف اليك م190ك ميكرمونين-أب عسى قانون ك بات كرميع يس جب

هوورمين سيتارام كيسرى جي اس فانون وُلِيَرُ آتَ- كَمَيْرِي هينسيْوالِيَثُ لَوَلِيَرُكُ الْ

میں میں (نکوکوش کونا چاہا ہیں سیشلا) كيسرى جي كيدر بعريس- حالانك وقع في ودعي

ورجع یک نر 190 اس صدی دورریارت كيا كيًا خاليك السيك هرف مدور او د صانوں كو

بى لاكوكياكى يربعه 4"عى" اور 4 4 أيخ ال دونول كوي لاكوكواكما بافيك اسمين أيسال

مخیں۔ بیت سی شکایات پھیں۔(سوقت

مسر کارنے یہ کہا قاد کھا ہیں درمست کرینگے۔

وقف بار ميس مماى حكوست كتنازياده وهيان رهني كه- (ودسنگلاحي لندك بري دخيس وقبن بادر میں وقف کی ملکیت کے ارب سي لكن جوكف يقه وه اس بات يعد ثابت بوا مع که ۷ و د و امیس معیدا عمد تکسی بنی عثی اور است س ۱۹ میں لبی انتوم رپورے دی اورایوا میں خاکل رہورے دی۔ اسمیں میڈم کئیسے مها وه بی شنا مل ہے۔ دی سے لیکربنگال تک دى سے ليكر بمئى تك -كيرل تك بورسطاك میں وقف ک جانگواد کو کسسکر ۲ اینکواج كاكل-دخل كياكما علا طريق سع اسكااسوا كياكيا - مسى يوزكياكما - ليعك بارد مين كي براور صان كون ك بانسيع كيس كي المدا-وكومت القليت لِكِلْهُ الني يُوكنا بِهِ مركبينا وُ ے وقت نوگ السوے بجائے الکھ سے حول بهائيس- كار كالوكريد (1991 كاليكس مين فيستومين يه وعده كنا لكانتا- كراب مكيرى حيستوالكث ما تطبية اورجاء ك ترارى جل دىي تى بم وگان كا بعى د با وحقا-كافي المتينس ميد ويروينتينش أدب يقع سب پالیشکل بارمیزے مسلممبردا وک در در مع فی اولاست بادنیمند میں یہ

فانون باس كالي -ايسك بارد مين بمنطع

بع كه السعرج سع مهدن باد ليعنوى الغيري

منسط كر يكونا يؤنا تفا- اس معون مين ياس

Calling Attention

to Matter

مبعا تواس مسدن میں یا س بنیں ہوا۔ یاس بهوا تونونيغيكيت بنين مهوا-اود بإميثث مين دبارة مين وال مدالكر كرانا يوا-السعة لانوكونه كالسوال بيدي مين اسلط كهرد با مهد ما لنك المينشن كاجومير بعد مسريور جوسه - استى روك عثام كرندك و كوراودما قاندنى فودىر دېرىخ د خ دى مېرى- و قعنى مب يع درى برنعيى ياد ميشن ك وجهمع مويي ذياده تربوك جومتوي بويسكة يتضرجوا قث يقع- عنك خاندان تع - رور وقع به موك حفاظت كم معيكة نقع-يقول مسكنود بخت-جو الخليع يأفحت لوك يسومنسلى كالنسيس كلمينك دميدى كيكيد وكالاوائني جولياد ومشياش وه بادئيشن كرت ما تلكريث بهوار جلے كرما مسب سع زیاده افر بنهال پر اور منهاب براوا ينجاب ويران بوليا- ان بي ويران يراسي-بريان بغاب دئ سع دير مبكال مك ايسا مہوا-لیکی ما عیگڑ ہیشن مبٹال میں بنجا ہے مقايد مين كم بواتعا-بنجاب مين شرى ملاع وه ينفوج منت سے ميم م- مسزا نورا كاند مين زياده موا - اور نبطال مين دول ايريا ك بواعقا-برابرفيزت مقايع مين بذكال مي معل سے صفانا چاہیے۔ اور اگریس صفاتے ہیں ایریا میں مائناد مینز کمیونیٹنز مرستدہ بادکر

مهط- بشگال میں عدوا سے میکر - 4 واحت ہوا آب الرُّريكيين كُ ثواس وقت ما تناديخز كا كۇن لىيىغىر- بالىئىكل يارنى كاكون لىغۇر وقف کے باحد میں ایک نفط میں بنس بول نسكتا فعا-كيونك مسوشل كنؤبيش إميى مى مسياسى كرويشى ايسى تى كايربات اعورى ب- ديماسه - ما مناوييزميوني جنريشن كا ي ب وقف كالسنوال تويم يكاد الرق كلية - ماني والت لكية - الكسماج ك اکنگ بیمعارنوکنای روقعت ی ملکیت بوسیے ۔ اسى جا يداد چرسه - اسكامىي بريونگ مهونا جليهي - اس با دسه مين دوك معوال لغا ربع بي - اور اعدًا نا جابية - يه قانوني آيا عبد -جوتمانون - ١٩٥٥ - ١٩٥٥ - ١٩٤٠ عنوا ١٩٨٠ مين بعونا جِليعُ مُعًا- وه ١٩٩٥ مين أرُ بنا ہیں بی اگر لینٹی موہ لاپری ہو۔ ویٹوا میٹ بعوتوا معيى فيشنل انع يست تيار بعيها تابع اوراس منيشنل الزيست كي وجرس يوري ملک میں جووقف کی سب سے بڑی پڑاپلہ ہے ن عدد میں یہ بہا تھا کہ اینکروچینٹ کو وقت تواسكوايني كيويش كمينسيث كرناجلية - المحدوري ياايد وهنادي كوهواك نه قده الينكوم منك بعوالوريه بك كينسين لينوياده الميريني تق - مين معسري كالت معا - الركن اينكر وجسنت موتاج وعتى العلام كيديا مور - بغاب مين ايسا اينكوجمنث

وال اي انعاب - تراعلاكوركوراب-ليونك بعلك تؤديكينا بنس جابين

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: 60 हजार प्रोपर्टी की श्रात कीजिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Singla, you made so many allegations. If he is talking, why are you feelling so agitated?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: If "he is only mentioning one, why does he not mention about the 60,000 properties with 60 front-leaders per cent earning rent. एक-एक का रेंट तीन लाख है।

एक-एक मार्कसिस्ट लीडर उसका रेंट कर्लेक्ट करता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Singla, if he is making an allegation, if you think it is wrong, you put it on record that this is wrong. You put it on record that the Congres office is not on Wakf property. You have made enquiries into all the Wakf properties. May be. it is one of the 16,000. I am saying very honestly. Let us not make it a political issue and see which party has acquired what. Let us make it a Wakf property acquired by people who are unscrupulous. Let us put it that way. Let us not go into party politics, please.

SHRI V. NARAYANASAMY dicherry): Mr. Salim, 80 MLAs have won in West Bengal. That you understand.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, are we discussing West Bengal?

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: मैं तो यह कह रहा था कि मेम्बर कौन है, किस पार्टी के हैं? हमारी पार्टी के तो है नहीं तो फिर कहां से करेंगे? ...(स्थवधान) एन्क्रोचर्स तो वहीं हैं..(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीयः आपकी पार्टी के मेम्बर पूरे मल्क में ढंढना मश्किल है...(स्थवधान)

مين كره ولؤنا مشريع بهد. • • • مواخلة

SHRI S S. AHLUWALIA: He should not pass such remarks. (Interruptions)

†[1 Transliteration in Arabic Scri'pt

THE DEPUTY CHAIRMAN: You don't know what was happening in the House. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Even in West Bengal, communism is ending. Out of ninc and a half crores voting throughout the country you got less than two crores. (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीमः क्या बोले वे...(ट्यवधान) अच्छा होता अहलूबालिया जी शुरू से ही रहते। ...(ट्यवधान)

۱ انفری محدسلیم : کیابوسد وَه • "مُردَّ اُهُلت". اچاموتا اصعلودالیه جی شروع بی سے مہتے۔ • • • • "مُرد اهٰلت" • • •]

THE DEPUTY CHAIRMAN. That has not nothing to do with Wakf property.

SHRI MD. SALIM: What did he say? Madam, ask. him to repeat

बोले, मैंने वहीं पूछे... (व्यवधान)यह सदन है, इसका भी महत्व है...(व्यवधान)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): What did Mr. Singla say just now? (Interruptions)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, whenever, 1 speak, the whole House gets up. They all gang up against me, what is this?

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): हमको 10 करोड़ बोट मिले और इनको एक करोड़ बोट मिले। जनसमर्थन का 1/10 भाग।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सलीम जी, उसी एसे पर पत जाओ जिस पर वे गये हैं...(कावधान) THE DEPUTY CHAIRMAN: I will look into the record.

SHRI MD. SALIM: Madam, this is a serious matter.

उसके बाद जो मिसयूज होता है वक्फ प्रोपर्टी का। किसी की इंडियूज्वअ्ल फ्रोपर्टी होती है जिस तरह से उसका लिटिगेशन हो या बाकी कुछ मामले भी हो, लोग जिस तरह से देखते हैं, अगर उसको कोई जिम्मेदारी दे देते हैं और वह डेडिकेटिड नहीं होते हैं, कमिटेटड नहीं होते हैं

तो यह इस प्रोपर्टी का मिसयूज होता है। यह बात सिर्फ वहां नहीं, हमारे मुल्क में इसका बंदोबस्त कहीं भी हो, वहां भी वक्फ प्रोपटीं का मिसवंज होता है। जिस तरह से हम अपनी प्रापर्टी देखते हैं कि यह कौन से काम में लगे तो जो उनको चलाने वाले लोग है वे भी अगर इसी सरीके से नहीं करते, इसी डेडीकेशन की भावना से नहीं रखते हैं तो उसका मिसयूज होता है और हुआ । बाद की दूसरी जनरेशन में वेल्युज इरोडेड ४ए हैं। चाहे वह मुसलमान हो, चाहे हिन्दू सम्पत्ति हो, जो सम्पत्ति मंदिरों के नाम दर्ज होती है वहां भी इसका मिसयज होता है। चर्च के नाम पर जो है वहां जरा कम होता है। मैंने मालवीय जी से पूछा कि क्या आपके क्रिचियन्स में भी यह होता है तो उन्होंने कहा कि उनकी कम्यनिटी बहुत आगैनाइण्ड है, इसलिए इतनी आसानी से मिसयुज नहीं करने देते हैं। लेकिन फिर भी होता है। सोसाइटी इतनी आर्गनाइज्ड है पर तब भी होता है। तो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग ऐसा काम करते हैं। अगर आप उनको कहते हैं कि ऐसा मंत करो तो उसका डिस्टार्ट किया जाता है कि नहीं नहीं यह मजहबी मामला है, यह धर्म का मामला है। बंगाल में सबसे बड़ा कारण यही हुआ है। जब 1977 में हमारी लैफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट वहां आई तो हम लोगों ने तमाम जगहों पर जो बेस्टेट ईंटरेस्ट थे, उनको खत्म करने की कोशिश की। चाहे वह पंचायत हो, चाहे वह म्यनिस्पैलिटी हो, चाहे कारपोरेशन हो और चाहे वह **एजुकेशन बोर्ड हो या मदरसा बोर्ड हो, यहां** रहमान खान साहब और सैफुल्ला साहब है। वे लोग इसे समझेंगे। हम लोग बाले नहीं नहीं, सिंस दिस गवर्नमेंट इज लेड बाई मार्किस्ट्स तो जो फंडामेंटलिस्ट्स हैं उनको पोलिटिकल पैटोनेज नहीं मिलेगा। उन्होंने खबरदार किया अभी नहीं, यह स्टेप बाई स्टैप होना चाहिए। अभी वक्फ के मांमले में हम कानून नहीं बदल सकते, मदरसे के बारे में हम कानून नहीं बदल सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर जो लोग है वे इस सवाल को लेकर आगे बढेंगे। हमें अफसोस है और यह सेल्फ क्रिटिसिज्म है कि हमें

^{†[]} Transliteration in Arabic Script.

जिस तरह से पिछले 20 सालों में क्कफ की मिस्कियत को साफस्थरा करना चाहिए वक्फ बोर्ड को जिस तरह से साफ-सुथरा करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को जिस तरह से साफ स्थार करना खाहिए था, वक्क बोर्ड को जिस तरह से एफिसियेंट और एफेक्टिव करना चाहिए और जिस तरह से उसे कम्युनिटी के परएज में लेना चाहिए वह नहीं कर पाए और इसका फल हमें आज भूगतना पड़ रहा है। आज इस सदन में, पार्लियामेंट में इस पर डिसबसन हो रहा है। लेकिन आजादी के बाद से, 1947 के बाद से वक्फ की आमरनी से, क्कफ की प्रोपर्टी से जो हजारों की बात कह रहे हैं, जो करोड़ों और अरबों की बात कर रहे हैं लेकिन कहीं आप एक दिनक दिखाइए, कहीं आप एक दीवार दिखाइए, स्कल दिखाइए, क्निक्सिटी दिखाइए जो हमने इस प्रोपटीं से एफिसिबेंटली और एफेक्टिवली, जो इसकी मिल्कियत थी उससे यह बनाने की कोशिश की। ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। मैडम, आपको यह जानकर खुशी होगी, हम लोगों ने देखा कि जो काम दो सौ साल पहले. एक सौ साल पहले होता चाहिए था, गर्ल्स एजुकेशन के मामले में मुस्लिम ओयेन्स की हालत पूरे मूल्क में बहुत खराब है। पिछले दस सालों से, यह हमारी प्राउड पोजीशन है कि अभौग मुस्लिम कम्युनिटी रेट आफ इन्कीज इन गर्स्स स्टडेंट वहां मल्क के अंदर हायर है। इससे हमने सोचा कि स्कूल लेवर्ल से पास करने के बाद जो कालेज में जाना चाहती है, मेडिकल कालेज में जाना चाहती है, हिम्री कालेज में जाना चाहती हैं. यनिवर्सिटीज में जाना बाहतीं है उनके लिए होस्टल का बन्दोबस्त नहीं है। कम्युनिटी के अंदर ऐसा रिजिस्टेंस है कि वे उनको कालेज के अंदर नहीं भेजना चाहते। सो वी टुक दि डिसीजन कि गर्स्स होस्टल बनाये जांये। मैडम, बीइंग ए मार्किसस्ट लेड गवर्नमेंट मुस्लिम नाम से हम कुछ नहीं बना सकते क्योंकि सेकुलरिज्य को हम रिप्रेजेन्ट करते हैं। लेकिन हम स्रोगों ने गर्स्स एजुकेशन के लिए जो गर्स्स होस्टल जो है, मस्लिम गर्ल्स होस्टल बनाने के लिए वक्फ बोई द्वारा बनाने का हिसीजन लिया और वहां आठ जिलों में हमने मुस्लिम गर्स्स होस्टल बनवाये। जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे, जो वर्षों से, सदियों से यह कहते रहे कि खवातीन, लडकियों के लिए स्कूल और कालेजों में जाने की मनाही है इसलिए वे कभी स्कूल नहीं जा सकीं लेकिन आज वे वहां स्कूल और कालेजों में जा रही है जो कि बड़ी प्रसन्नता की बात है। यह एक सोशल आसपेक्ट है जिसको हमने टेकेल किया है और कर रहे हैं। हमने आठ जिलों में होस्टल बनाये हैं और बाकी नौ जिलों में एक साल के अंदर गर्ल्य होस्टल चालू

हो जायेंगे। लेकिन क्योंकि बेस्ट बंगाल गवर्नमेंट केन नाट सेंट दैन दि नाम और मुस्लिम क्योंकि वह सेकुला गवर्नमेंट है। इसलिए वक्फ की जो आमदनी है उसको बढाना पहेणा और वक्फ की आमदनी को रीसैटल करना पड़ेगा और गर्ल्स होस्टलों को बनाना पड़ेगा। वहां पर 16 ऐसे गर्स्स होस्टल बनेंगे। वहां पर इससे गर्स्स होस्टल और टेक्सीकल एक्केशन देने के लिए इंस्टीट्यूशन बनेंगे। आप इमाम से बात करते हैं बोट के लिए तो ऐसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं ऐसे लोग चोखते हैं और चोख आप भी रहे हैं। लेकिन आप किसके लिए चीख रहे हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज को पीछे ले जाने के लिए? मैं यह नहीं कहता कि बंगाल में वक्फ की प्रोपर्टीज़ के डील में कोई करप्शन नहीं हुई, हुई, उसके लिए मैं शर्मिदा भी हूं। लेकिन कौन चला रहा था क्षमक को, हक्। मत किस की थी? पूरे मुल्क में जब 1954 का कानून चल रहा था बंगाल में ट्रेडिश्पर्ली, हिस्टोरिकली 1934 का बंगाल वक्फ एक्ट, 1934 🕧 1954 वाला जो एक्ट बता रहे थे, वह चल रहा जा उस कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। हमने मुल्क की हकूमत से बार बार कहा कि पार्लियामेंट में नया कानून बनाएं और एक नया कियाहेंसिव एवट लाएं। 1995 का जो एक्ट है, यह भी कमित्रोंसिव नहीं है : इसमें भी बहुत सी खामियां हैं, लेकूना है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा कि 1995 का एक्ट लाग होगा। अब इलेक्सन प्रोसीजर चल रहा है। हम लोगों ने कहा कि व्यक्त बोर्डों का डेमोक्रेटाइब्रेशन हो। नये अनुन के तहत यह कहा गया कि क्क्फ बोर्ड इलेक्ट्रेड होगा। इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। मंत्री महोदय ने कहा है कि चार स्टेट्स में हो गया है। सितम्बर में हंमारे यहां भी हो जाएगा. हमारा वक्फ बोर्ड इलेक्ट्रेड होगा : गॉमीनेशन अगर कहीं होगा तो उसमें सिंगला साहरू ने कहा है कि कुछ खास खास लोगों को पर दिवा जाना है. सिकारी लोगों को मर दिया जाता है। आपकी जो वक्फ की सेंट्रल कोंसिल है, उसकी डिस्टरी पिछले 50 साल की आप उठा कर देखा लीजिये। हर स्टेट में चाहे पंजाब का वक्फ बोर्ड हो या किसी भी स्टेट कर हो सब है 🥫 लीजिये अगर किसी को कहीं डालना होता है, उर्ला उसको टिकट नहीं मिला तो क्वयः बोर्ड में डाल दिया जाता है'। ऐसा होता रहा है। यह सिस्टम हमने प्रकाल्य किया लेकिन सिंगला जी पार्टी पार्टी कहा रहे है। ये वह कहता हूं कि मैं मोहम्मद सलीम belong to a minority community . लेकिन हमारे लोग ओ सीरियसली एजनीति करते हैं, हम सब लोगों ने पिछले बीस सार्को से परहेज किया है, ख़बरदार जिन्होंने

सी॰पी॰एम॰ का उप्पा लगा रखा है वह वक्फ बोर्ड में नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। लेकिन देना तो पडेगा किसी को। उनको दुख है कि उनकी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं दिया गया। मत्तवली आए. नाँभीनेशन भी हआ, लेकिन एम॰एल॰एज॰ लोग आएं, जैसे आना चाहिये नये एक्ट के तहत जिस तरह से हुआ है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा है। लेकिन वक्फ के बारे में जो कंपलेंटस अग्य वेस्ट बंगाल में इन दी हिस्टरी आफ इंडीपेंडेंट इण्डिया फार दी फस्ट टाइम एक डिपार्टमेंटल इन्वायरी हुई और उसकी रिपोर्ट आई एक महीने का 'वक्त कंपलेंट रिसीव करने के लिए दिया गया और तीन महीने के अन्दर जो सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वह रिपोर्ट दी गई। मैं यह पूछना चाहता हं क्या दिल्ली में वक्फ के बारे में कोई कंपलेंट नहीं आई? क्यों नहीं डिपार्टमेंटल इन्क्वावरी होती? पंजाब क्क्फ बोर्ड. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के बारे में क्यों नहीं डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई? क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हैं. माइनारिटीज को आपने वह हक ही नहीं दिये। बम्बई के अन्दर माइनारिटीख ,रायट का शिकार हो कर वक्फ की प्रोपटींज का हक नहीं मांग सकते. वह अपना प्रोटेक्टशन मांगते हैं, सिक्यरिटी मांगते हैं। हमें फक्र है बंगाल के मुसलमान बक्फ के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि उनको डी॰आई॰आर॰ का डर नहीं है, पी॰डी॰एक्ट का डर नहीं है, टाडा का द्वर नहीं है। जहां टाडा का दर है वहां एजस्थानं के मुसलमान टाडा से बचने की कोशिश कर रहे थे, वह बक्फ प्रोपर्टींक का हक नहीं मांग रहे थे। वह डेमोक्रेटिक एटमॉस्स्फेयर ...(रयवधान)

श्री विच्यु कान्त शास्त्री: वहां इतनी घोरी तुई है पश्चिमी बंगील में, शर्म आनी चाहिये आपको (व्यवधान) जब मैं बोलूंगा तब मैं बताऊंगा (व्यवधान)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Here is the most noisiest, self-appointed Secularist. (*Interruptions*) He is the noisiest and self-appointed secularist. (*Interruptions*)

भी मोहम्पद सलीम: हमें सख्त अफसोस यह है कि जिम्मेदारी दे कर के आपको यहां तक पहुंचाय। (अव्यवधान) शास्त्री जी आप जैसे लोग अगर मुसलमानों की जिम्मेदारी लेंगे तो खुदा खैर करे (अव्यवधान)

श्री केंद्रणु कान्त शास्त्री: खुदा तो आपसे खैर . करम्भुः (स्यवधान) श्री घोहम्मद सलीम: मैडम, मैं जो कह रहा था, मैंने जब पंजाब और बंगाल की बात कही तो गुजरात को ओमिट कर गया था। माइमेशन ज्यादा गुजरात से भी हुआ और वहां भी प्रोपर्टी और हज़ारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। जूनागढ़ आप जानते हैं वहां तो बादशाह था लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। ऐसा सब जगह है जैसे कि आपने एइटली कहा कि सिर्फ बंगाल नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं। दिल्ली में यहां फार्लियामेंट स्ट्रीट जिसका नाम है वहां पर पार्क होटल खड़ा है। पार्क होटल जहां आप जाते हैं वह क्वफ प्रोपर्टी पर खड़ा है। लोदी होटल, ओबराय होटल, कुतुब मीनार के सामने वक्फ की ज़मीन पर आप के जमाने में भगवान महाबीर जैन की मूर्ति लगाई गई, किसने किया यह सब? क्यों? बंगाल में भी रेस कोर्स ,.. (ब्यवधान) कलकते में जहां घोड़े दौड़ाये जाते हैं (व्यवधान)

उपसभापति: कर्नाटक में बंगलीर में।

श्री मोहम्मद सलीमः बंगाल में जहां रेस कोर्स में भोड़े दौड़ाये जाते हैं, वह ज़मीन भी क्कफ की ज़मीन है। मुझे हैरत हुई वह मालूम कर के जो गोल्फ खेलते हैं, टॉलीगंज गोल्फ क्लब की ज़मीन जहां पूरी दनियां से लोग आते हैं, वह अमीन भी वक्फ की प्रोपर्टी है। जिस मुल्क में कहा जा रहा है मुसलमान सब से गंदा, सब से गरोब, जिसके पास तालीय के लिए पैसा नहीं है. तिजारत करने के लिए पैसा नहीं है, जमानत नहीं है उसके पास, उनके लिए कछ एहम चाहिये, कछ भीख चाहिये. वहां देखा जाता है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की प्रोपर्टी गलत तरीके से मिसयूज़ हुई। हम भीख मांगने के लिए यहां नहीं आए, अपना हक मांगने के लिए आए हैं। पूरे मुल्क के लोग हक मांग रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि एक कानून बना देने से सब काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो एक कानून ला कर पिछले 50 सालों में जितनी भी मलतियां हुई सब को सुधार देते। ऐसे नहीं सुधरेगा। लेकिन कैसे। एक बात आप सोखिए। रेस कोर्स का मामला है। किस तरह से गलत काम होता है हमारे मुल्क में। आप बोले वक्फ का कानन है, वक्फ ठीक करेगा। वक्फ कमिश्नर जो है उसकी परिमशन चाहिए। उस वक्त आपकी पार्टी, कांग्रेस की हुकुमत थी। जब रस कोर्स कराकता की लीज एक्सफायर हो रही थी तो वक्फ बोर्ड बोला कि हम इसे एक्सटेंशन नहीं देंगे। लीज एक्सपायर हो गया है। वक्फ कमिश्नर बोले नहीं देंगे, चेयरमैं बोले नहीं देंगे। मंत्री महोदय बोले यह देना पहेगा। जब दूसरे दिन वक्फ कमिश्रर जाते हैं ...(ब्धवधान) सुनिए....

المنوي محدمه يم هجاري» ميدم- دس ا واس مسيريس ميغر- ميں نے اينکر وجينے سک بارس مين بتاياً - ليسك بعدجومس يوفريكم بع -وقف برايري لا - لسكى ك انتريو يجول برايري ىدى بى - مىسىرى سەرىسكانىيلىشىن مەديا باقى ئى مەلىدىسى بى بول-دۇگ جىسىلى كىيد ديكفة بيي- (كرامكوكوك دُم وادى ويوية يى - اورون كريلى ككيفيز ليس بو يحرين-كا مينغ بين بري بري بين - ويداس براير في كامس يوزبولها يدبات مرف يهارينين بھادے ملک میں (سکا بنودیسٹ کھی ہی بيو- وبال بي وقف براير في كامس يوزيونا سے - حبسلوع سے ہم اپنی برایرٹن ویکھتے ہیں يە دىن سے كام مين لگے ثوتو (نكوجالمان وال ى دىكى بىي - وە بىي الرانس طريق سى بىي كېرى -اسى دُيدُ بِكَيْسِتْنِ مَى عِلْ وُنْالِيعِ بْنِينِ لَكِعِنْهِ بين -توالعما مسريوز بعوتا يع -اور بعوا-بعدى دوسرى جنربيشى ميس ورلميورا يروازيو ىپوسىئېيى -چاپىيەق مىلمانىپو-چاپىي بذور مسميتي ميو-جوسميتي مندرور سكانا درج بهوي بيد-وبال بي اصلا مسريف وا به-جرد امرام برجوب وبال درام بوا ہے۔میں نے مالویہ جی معیوجہا کہ کیا آپیے كرسيعي مي يوبوتاس - توافون

اتى اسانىيەمىس يوزىين كرن ديق میں - لیکن میرمبی میونا سے معوسا میں آئی آرگنا كز كرب وب بى موتله - تومزيب كنامير وهرك نامير- وليسيد الريسة عَ يُوكُ ايسا كام كرت بين - الرُرُب الوكيك بین که ایسامت نروثوامسفاد مشادی کیاماتا بيع-بين بنين يدمزهبى معامله يع-يدده كا مامه بير-بنكال مين سب بيد بو دكاون بری معواسے -جب ۱۹۷۷ میں ممازی لیفٹ فرنت كالكور خنث وبال ال - ترم مواكل نے تمام جليون يرويسنيوا نفرليسست منه- الكو خة كرن ك كومشش - چلهع وه بنيايت بور-چا *پیوهمیونسیای بو-چاپیکل*وژن بعو -اورچاہیں وانجوکسٹن بورڈ میو- یامور بودة بهو-معان خان صاحب اودميغ الا صاحب اسے سعہ سے میم نوگ ہوے المیں ہیں - معنسی دس گودنمنش *ادایڈبا* گ ماد تسشیس "جو فنزا مینتکیشیر بهیری-الکو انتوبإليشيكل ببيرونيع نبين مليكا -انعوالي خبرد در كيا- اجى بنيرك يدامسين باي اميني بونا چارىيدى - رىبى وقعت كەمماملەمىيى بىم قانون بني برل بيكة -موريسك بانسامي م فانون بنس بدل بمكت بيس - كميوني كانور-

ى ملكيت كزمهاً ف سقوا كزناچا بيدك بورنز كوحبسلرح سيعماف سنواكزنلجابية. وظف بوراز كوجسل يسعاف ستوا كرانا جايسية شا-وقف بوردي جسام جس ايفيئينىث اورايف كمعنو كزنا جليمة ودوكس المروسي ليس كيمونى كالإمين ليناجلها وه بني كريك الداملاييل بمين اج بعلتنا يرريا به- أج اس معلى مي بإدليمست مين اس برفرسنكش بموربليد ليكن أزادى كروسع عدول كورسع وقعنى أمرن سع وقعن كالانصط جو برادون ي احداد عيس -جو كودون اور اربوں ی بات کم رہے میں لیکنی آپ كيس اين ديوادد عكايف اسكل د كالييك يونيورسى دعايد-جربهذاس برايرى معدا يغييشنيئى جوالهي ملكيت تى-اس عبدیہ بنانے کا کوشش کی -الیسی کو ی كومشش بنس بموئ ميزم-ايويه جانكزونى مهونگ- بې دوگولىنے ديگھا دېچو كام دوموسال يهدايك سوسال يجدبونا جابية ثنا- كرلس وه تعبى اسكول بنين جا سكين -ليكواج ق الجوكيشن كاسليد مين -مسلي دُون مكالت

پورے ملک میں بہت وابسیع - یجے دس مالا سعيم بمان براوي يوزيش بيدكة امنك سسله كميوني وميشا ف الكريزان الركسس استونى وبالملكسكاندرها كاليسث بهدامس سع بهذ موجا كه استول بيول سع ياس كونسك بعرجو كابع ميريجانا جابق بع ميدليل كابع مين جا فاج الهني سي ومحرى كا بيمين جانا جابق بيم - يونيورسيكرمين جاناجابتي يهن -التكنيخ بهيمل كابندوبست بيس عد تمیونی کانورالیساویز (مینیسی- که مد التوكايك الزين بيمنا واين -«معووه کلسدی فی معیزن» که گرفسس مجسفل بنكرُ جامين-ميدم-"بي الك اسعادكتس تُور نمنت "مسلمنام سعهم مي المين بناسكة كيك كوهف بودني كذر بيربنك فيا فيميزن ليا- اوروبان اعد صلحي مين مسام كركس بموسمُ للوائدُ -جومسمُ فنوا مِنظلسيث تى - جوودىشوں سے - مىديوں سے يہ كيت ربع بين كر فواتين - بوكيون كيلية المكل اود کا بجل میں جلن ک منابی ہے۔ اسلیم

د باد پاسکال اور کا لی میں جا رہی ہیں۔ جوله خومتی کی بات ہے۔ یہ ایک معوشل "سبيكث بع جسكويم نے مشكل كيا ہے-اور كريدي بس-بهن الخصليل مين الوسك كاندرترنس بوسشا جادبو جار تلنك ليكن كولكيميسست بالمحال كورنمنت كين ناشب ينف دين دى نيم كف مسل كيونكك سيع-(مسكوبيم نا يزيكا- اور وقعت ى أعنى تؤدى مىيئل كرنايي ديا- اودا كرنسس بوسطون نوبناناپ**و**یکا-مەپردا دىيە گرىس بهوسىل ينير وان براس مع تريس موسيل اور تشكنيكا (بحكيشة رريغ <u>كتلاا اندو وي</u>طن ينيك يهيدمام سع باش كيسكة بين ووف رمين اليسيدوك حسيفية بين اورجيبغ أبسلبى بنیں ہوئی ایسے کے کمیں شرعنوہ ہی ہول ليكي كون جلام شاوهم كو مكارست كس ی تق-بیارے مفلک میں جب نہ 190 کا

قانون چلابانقا-بن**كال مين تريؤ**يفنلي-معسنة دييل دمهوا كابنكال كاوتعذابكث سردوا يام 190 والاجالكة بنام بعقف وه جل د باعثا-ا مس بما ذ د اس تحدث وقعف الملحة بنایاجاتا ہے ۔ بہنے ملک کی حکومت سے باربا وكهاكه ياوبيعنده ميب مثافحا ذبي بنائجه ا وادا يك نيا كمرى عينية والكشاديل -1990 كاجوا يكنتسبع-وه بعركتمين حنيمتو بنیں ہے -اسمیں بہت سی خامیاں ہیں -ليكون بد - لعك باوجود م لاكل ن كاك ۵ وود كاليكف لا گؤم و كا-اب العكيش بردميع وللهاب - بما وكال نا كا كلاقت لياس - منتمد مين ممادر بران مي موجا يكا-بماردوقف بود کا ایکن*یف بو گا*- نامینیشن الركيبي موكا تواسمين مستكلاصاحب كبليعدك في خاص خاص لوكون كو بعد حريا جاتا . ہے۔سیاسی دوگوں کو بعرد باجا تا ہے۔ از یک جووقف كى مىندول كاكونسل يع-دمكر صيرى يحديماس كاتب الماكرديك لعار

of Urgent Public 312 *Importance*

ئ بات ا ربع ہی وہ دبورے دی کی میں یه پوهینا جابتایی نه رئ میں وقعن کتباری میں-کوئ تمیلینٹ بنیں لائ کیوں لح بیار تعین ل انكوائرى محق بنماب وقعف بورقة يمادتهم وقعف بور در ار ارد میں کدوں بنر جرب ارفیقل ا نتوالمرى مولى -كيونكه لاي سننا بنروكين يس - ما عناريرزي إيغ جومن بي بنيديا -بمبيئ ك اندف ما تنا وليزد النف كالشكادم و وقف ئى براير فيز كاحق بنير ما نك مسكة ـ وه اینا پروٹیکشن مانگٹے ہیں-مسیکیوٹی ملنگتے يس - بمين مخرس كه بذكال ك مسلمان فق ت بارے میں بات مرسکتے ہیں۔ کہ نکہ انکو ولمسي- كائ- الركافرين بيد- يل- وي -الكيك كالحرين بيا-فاقد كالحرين بير جان تا ژاکا وربع - وبان درجستمان سر مسلمان کا ک بھی بیٹے کی کوشش کر ہے يه - و و وقعن ك براير يوز كاحق بين مانك سي ني - وه ويمولينك ينك سفيز..

مشری ومشنوکا منت شامستری: وبال ائن چورى بعلى سے - يېشمى بىلال ميرىشرى الني جلهيئ أكبيك و و و مرد اخليت كورو و جب ميو، بولون انس مين بتاو کا-٠٠ ۰۰۰ ميراخلت »۰۰۰

بو- يالسي بم إسيَّتُ كابو يسب ديكي لسعة -اگرنسي توكيس محالنا موتايير -اكر اسكوثكث بيس ملاثه وقعت بورنح ميرنحال دياجا تلبي-ايسابوتا دراس -يهمسم بم في ايواد وكياليكي منكلاجي إرفي يارفي كبرادي يس-مين كبتابون كرمين محدمليم بلانگ فرمانداری مکورنی-

لیکن بهادے دیگ میریسلی اج نیتی توتى بى - بى سىب دىكى ئەخەجىيە بىسىمالان سے برحیزکیا ہے۔ خبردار حبنے درسے سی۔ پی ايم - كا عثيا نكار كماسه - وه وقف بورد میں بنیں جا مسکتے ہیں - لیکن دیا توفویکا لسي توانكود تحديد انتي ياري كاروك وتون تُوكِيُون بنيس ديا لِكِ -منوتى أشيخ نامينشن بى بوا-لىكى ايم ايل- ايزدوك كايك جسب لا ناچاربین کئے ایکع ٹیسٹے تحت جسیل سے محاب -مين استوكيفيند بين مركبي لیکن موقف کے بارے میں مو کمیدلسنٹ کرنے ولىسى بنى المال مين "ان دى مىسى بنى ال الأبييني لنشاكون الأيافاددى فرست عائم"- ایک ڈیپاد ٹمینشل انکوائری ہوئ اورامس ريورث مي - ايك ميسنه كاوقت محصلنف ديسيدكوكرن كفلف حياكما- دور تین مینے کے انورجوسیں کیتا کیوی

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Here is the most noisiest, self-appointed secularist. *[Interruptions)* He is the noisiest and self-appointed secularist.

رى محدمدليم: مىميى سىخت افسوس یسهدار در داری وے کرکے ایکو بیان تک "مدادلت" . . . متماسترى النفرى محدسيم: ميغم- ميں جو لکہ دما عدا-مرسے وہاں یادک ہوٹل محور اسے -

†[) Transliteration in Arabic Script.

اب مسجابتی: کونانک میں بنطاویں

ىنىرى تحدىسىيە: بېگال مىں جېال دىسى كورس مين كالحصد وواسع جاتم بس-ون ملک کے دیک حق مانگ دیجہ ہیں میں یہ ختم بهوجا دينگا ايساينين بهوسكتابيد-اگر ايسا بهوتا ثرايب قانون بلائزيجيه بجأس

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Singla, please ...(Interruptions)... I am going to stop it because if something happened fifty years ago and which was wrong, that is wrong even now. You cannot equate two wrongs and say that two wrongs have been done, so it is right. Please let him speak. It is not West Bengal versus you. It is the wakf property of the people of this country that we are discussing here. Please do not bring it down to that level. Mr. Sikander Bakht also mentioned it. Do not bring it down to that level. Enough exploitation of the property of minorities is taking place and you are adding to in this House. I want to put it on record. Now, please keep quiet.

श्री मोहम्पद सलीम: मैडम, मै मोडस आपरेंडी बता रहा था कि यहां तक कि वक्क कमिश्नर ने कहा कि लीज एक्सपायर कर रही है, उसे एक्सटेंड नहीं करेंगे। मंत्री महोदय पुलिस भेजकर बबफ बोर्ड के आफिस में ताला लगा देते हैं। दूसरे दिन उनको कहा जाता है कि यू आर ट्रांसफर्ड । ऐसे वक्फ कमिश्नर को एप्वाइंट किया गया जो इस लीज को एक्सटेंड कर देते हैं। यह दिखत है। मैं यह किसी को बदनाम करने के लिए नहीं कह रहा है। पिछले 2-3-4 साल में बोर्ड के जमाने में बंगाल में ऐसे कुछ सवाल आए। सेनगुप्ता कमेटी की बात आ रही थी। यह बात मैं इसलिए कर रहा है कि सिंगला जी 16 थाउजैड" 16 थाउजैड बार बार कह रहे हैं और मैं यह कह रहा था कि क्या यह फैक्ट है? वे कहते हैं कि मैं फैक्ट कह रहा है। मैं सिर्फ इतना सवाल पछगां। उनसे सवाल नहीं पूछ सकता हं। आपके माध्यम से पूछुगों कि यह 16 थाउजैंड फिगर आया कहां से? ये 1200 करोड आए कहां से? यह कोई शहीद मीनार का मैदान तो नहीं है। रामलीला मैदान तो नहीं है। आप सदन में अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा फैब्बेअल बोलना पड़ेगा। मैडम, 160 प्रापर्टीज को गवर्नमेंट मै रेफर किया कि ये देखों। इनके बारे में एलीगेशंस आए। चीफ मिनिस्टर ने रिसीव किया। दीज आर प्रमय द पीपूल। जुडीशियल सेक्रेटी को भेजे गए। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर 16 प्रापर्टींज को चुनकर और बाद में 7 के बारे में इंक्वायरीज कंडक्ट करवायी। सिर्फ ७ में। ७ प्रापर्टीज के उन्होंने सैम्पुल लिए और सैम्पुल लेकर इंक्वायरी कंडक्ट की। उसमें यह बताया। यह रिपोर्ट है। मैं डिटेल में नहीं जाउंगा। इसमें कहा गया कि इन के बारे में कुछ-कुछ में गलतियां हुई, लीज में ट्रांसफर में या सेल में और इन इन बारे में नहीं हुई। इस 7 के बारे में कंप्लेंट्स आए तब वह रिपोर्ट प्लेस की गयी। हमें मालूम है कि ब्होरा कमेटी के बारे में हम कितना लड़े। हमें मालूम है कि सुगर स्कैम के बारे में हम कितना लंडे, हमें मालुम है कि टेलीकाम पालिसी के बारे में हम कितना लड़े-रिपोर्ट्स आने के लिए। वहां बंगाल असेम्बली में ज्योति बस जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा—मैं उनको सिर्फ कोट कर रहा हं। वे कहते हैं कि नहीं यह रखादी, दाद दी। वे कहते हैं—

"In order to alley any misapprehensions that might arise in the minds of some of the hon. Members of the House, the Govern ment has decided to lay the report along with the copies of the judgement of the Calcutta High Court delivered on 20th January, 1995, vide Civil Order No "

This is the transparency. उसके बाद लोग खुरा नहीं हुए। कुछ केसेज स्टिल थे। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सिटिंग जज आफ हाई कोर्ट से बुडीशियल इंक्वाक्स कांस्टीटयूट कराते हैं और आनरेबुल जस्टिस गीतेश पर्टाचार्य को एप्वाइंट किया गया है। हाई कोर्ट के चीफ अस्टिस ने एप्वाइंट किया है। दे रोट

any of the States even in the Central Council, even in Delhi, even in Punjab, even in Maharashtra..

टुंद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ अस्टिस ने कहा कि अडीसियल इंक्यायरी होगी। 1 challenge that in

वसफ के इन्क्रोचमेंट के बारे में जुडीशियल इंक्वायरी नहीं हो तो आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कीजिए, कोई दूसरा आफिसर बैठाइए। इसलिए मैं मैडम यहां कहता हूं कि इंक्लूडिंग बंगाल पूरे मुल्क में क्क्फ की प्रापर्टी का जो मिसयूज़ हुआ है, मंत्री जी, टु कम किलयर क्या आप एक हाउस कमेटी एप्याइंट करेंगे इस सदन से राज्य सभा से? और उसके बाद to go into the activities of the Central Wakf Council, the Punjab Wakf Board and all other State Wakf Boards... जिसके बारे में आज कालिंग अटेशन है और उसके बाद रिपोर्ट यहां फाइनली आकर हाउस में दें

what is what. Let us call a spade a spade. इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय एक हाउस कमेटी आप यहां कांस्टीटयूट कीजिए और पूरे मुल्क में वक्फ की प्रापर्टींज में जिस तरह से थांधली हुई है, जिस तरह से मिसकूड़ हुआ है और जिस तरह से बेवाओं को, मिस्कीन को, अनाथ लोगों को उनके हक से महरूम किया गवा है--तालीम से महरूम किया गया है इस कम्युनिटी को आप उसे ठीक करने के लिए दुरुख करने के लिए क्या आप ऐसा करेंगे? अगर अग्रप ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में सिर्फ यह सदन नहीं बल्कि आने वाले दिनों में पूरा मुल्क इस बात की गवाडी देगा कि हां एक हकुमत ऐसी आवी जो ट्रांसपैरेसी की बात करती रही और उसने काम भी करके दिखाया। और भविष्य में भी इस तरह से पानिटिव इसका वर्षफ प्रापर्टीज का इस्तेमाल किया जाए, एन्फ्रोचमेंट को खत्म किया जाए, इस कानून को लागू किया जाए और इस कानून के अन्दर जो खामी है उसको दूर किया जाए। उसको भी आप टर्मा आफ् रेफ्रेंस में दे सकते हैं और मै समझता हं कि सदन के दूसरे सदस्य भी इस काम में सहमति देंगे। धन्यवाद।

^{†[]} Transliteration in Arabic Script.

"In order to alley any misapprehensions that might arise in the minds of some hon. Members of the House, the Government has decided to lay the report

along with the copies of the judgement of the Calcutta High Court delivered on 20th January. 1995, vide Civil Order No.
This is the transparency.

السكة بودگ نوس بن بوسة - بچو كيسز استال ج آف با يتكودت سعه جود يشيل الكوائرى كانسى فيوث كرات بين اود آنرببل جسيس دبيبيشش بعطاچاريك با منف كيالگامه - با ميكودت كم بين سعى خوابا منف كيالگامه - با ميكودت كودى با ميكود با دا با منت كيامه - "در دوث كودى با ميكود با دا كوش كيامه - است منها كه و در ين با دا كوش كيامه - استاس منها كه و در ين

I challenge that in any of the States even in the Central council, even in Delhi, even in Punjab, even in Maharashtra....

اب جوا بلیگیشنس پی و قف که اینکوشه که اب می بیاد تمینیل اکتواکن کینجی کوی دوسرا انمیس برخایی - اسلیم میں میڈی بہاں دوسرا انمیس برخایی - اسلیم میں میڈی بہاں کہتا ہوں کہ انعلی کو تک بنسال پورے ملک میں وقف می برابر ٹی کا جوسس ہوز ہوہ منتری جی ٹو کم کی تر - کیا آب ایک ہاؤس مکیٹی ا با تعشیف کرینے کے اس صون سے دراجی مسمول سے - اول ایسکی کے دراس صون سے

to go into the activities of the Central Wakf Council, the Punjab Wakf Board and all other State Wakf Boards....

what is what. Let us call a spade a spade.

उपसभापति: आप कुछ कह रहे हैं? श्री बलवन्त सिंह रामुवालियाः जी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. He is reacting to it.

श्री विष्णु असन्त शास्त्रीः मेश जाम भी है। उपसभापति: एक मिनर ...(व्यवधान) आपका नाम तो है भी नहीं, इसलिए आप कहां से बोलेंगे। मुझे यह टाइम देखना पड़ेगा। मंत्री जी कुछ रिएक्ट कर रहे है। मैं खाली उस पर एलाउ कर रही हं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not a reply. We have not completed it.

BALWANT SINGH SHRI RAMOOWALIA: I am just entering into reaction

म आर गभार लवल पर यकानन आह गभार देश की एक बहुत बड़ी भाइनारिटी की जायदाद का मसला चला गया है, उससे मैं क्कीन दिलाता हूं कि सरकार और भी गंभीर होकर सोचेगी। जो और सदस्य बोलेंगे मैं उनसे आपके माध्यम से बिनती करूंगा कि वे हाउस कमेटी बनाने पर अपने विकार दें और संरकार हाउस कमेटी क्ताने के लिए तैयार है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Saifulla. we have. just. 15 ...(Interruptions)... Just a second Mr. Saifulla. The reply of the hon:- Finance Minister.

SHRI SAIFULLA (Andhra Pradesh): I would like to brirts to the notice of the 🛂 ...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one second. At 2 O' clock, the Finance Minister's reply will

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, it is at

THE DEPUTY CHAIRMAN: We should finish this by 2.30 P.M.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, how many names arc there?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Many names arc there. One is Mr. Saifulla, Shri Sanatan

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः मेरा नाम तो इसमें है? उपसभापतिः आपका नाम मेरे पास दिया नहीं है।...(व्यवधान)

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः मैडम, इसमें है ।.....(व्यवधान)

उपसभापतिः नहीं ।.....(व्यवघान)

Bisi's name is there, Shri Mohd. Masud Khan's name is there but - he is not here. Then, Shri M.P. Abdussamad Samadani's name is there but he is also not here. Then your name is there, Mr. Fernandes, and then Mr. R. Margabandu, Mr. Jalaludin Ansari. These names are already listed with me.

we do.......(interruptions).......If I have to explain it' eyery time, then so much time will be taken in explaining it. Every party gets one person to speak. We will try to accommodate you if you have to speak. We will give..........(Interruptions).......

आपके यहां से लीडर बोल चुके है।(ट्यबधान) आपके लीडर अपकी पार्टी की तरफ से बोल चुके हैं।(व्यवधान)

भी विष्णु कान्त शास्त्रीः मेर नाम तो है।

उपसभापतिः ठीक है। अगर मैं सब के नाम बोलूंगी तो Every party should get a chance, Shastriji. Let me finish. Do not get agitated(interruptions).

ठीक है। मैं आपका नाम लिख लेती हूं। बोलिए। जरा अभी थोड़ा बोलिए।

SHRI SAIFULLA: Madam, I will be very brief and within five minutes I will close. Instead of making allegations against the political parties and criticism, I would like to mention, through the Deputy Chairman, to the hon. Members with regard to lacunae in the Act. I cannot blame the present Minister because he may not be aware of the Act when it was introduced. The act of 1954 and the Act of 1995 absolutely have the same footing., There- is no change

between the 1054 Act and the 1995 Act except regarding the election of the Wakf Boards in the States, the section they have mentioned in the 1995 Act is that one Muslim and two Muslim M.L.As. must be elected to the Board etc. But, still fraud is going on. But, I am happy to state that Andhra Pradesh is the first State in India, where under the Chief Ministership of Shri Chandrababu Naidu, steps have been taken enforcement of the Wakf Act elections have been conducted. The new 1995 Act is being enforced by the Telugu Dcsam Government under the IcadCL-fhip of Shri Chandrababu Naidu and I am saying this emphatically, being one of the Members of the A.P. State Wakf Board. My submission to the Deputy Chairman is that, it is a fact, as Shri Sikander Bakht has said that we cannot go for political speeches. It is true that every party, every member, every henchman of a political party is misappropriating the Wakf Boards property. If we go on speaking in Parliament that property is being misappropriated, it is not going to solve the problem. The problem cannot be solved unless the Act is specifically rectified.

My submission to the Government is this. Of course, there is a provision in the Act that there would be no sale; no lease; nothing would be allowed. I would respectfully submit that this would not solve the problem. Litigation can go on in another way. What is that way?

The people trespass into the land. They take shelter on the ground of adverse possession. The Act is very pliant in this regard. One does not have any doubt on adverse possession or permissive possession. Madam, the Transfer of Property Act speaks about adverse possession. What is adverse possession? If a person is in possession of a land for more than twelve years, in the capacity of the owner, in a particular State, the Transfer of Property Act says that he is the absolute owner of the property. If a person is in possession of a property of

the Government for more than thirty years. he becomes the absolute owner of the property. Therefore, the litigants are taking advantage of this provision in the Act. They just enter into the land. They take possession of the Jand. Later on, they go to the court and get a stay, saying that they had been in adverse possession of the land for more than twelve years.

Therefore, my submission to the hon. Minister, to the Government, and to the Members is: first of all, we have to amend the Act. The 1995 Act should be amended. For this purpose, a House Committee has to be appointed. As I. said, the Act is very pliant. There is not much difference between the 1954 Act and the 1995 Act, excepting the provision in regard to conduct of elections. There is not much change.

What is trespass? Everybody trespasses into Parliament. What should be done to prevent the trespassing*? We have regulations. Similarly, in regard to prevent land grabbing, the land grabbing prevention Act was brought forward by the Government some seven-eight years back. This Act was brought forward to avoid the kind of litigation which was going on for years together. It was for this purpose that the land grabbing prevention Act came into force. My submission, in this connection, to the Government and to the hon. Minister is, we should say that this Act would be applicable to the Wakf Board also.

Now, by making the land grabbing prevention Act applicable to the Wakf Board also, what purpose would be served? I would submit that if we do this, there is no danger of endless litigation. One can straightaway file a petition in the district court. The onus also would change. Under the Evidence Act, if you go to the court, civil court*, the burden of proof is on the person; he has to prove that he is the owner of the property. But if you go under the land grabbing prevention Act. to,the district court, the

Evidence Act changes. Under this, the trespasser must prove as to under what circumstances he is in possession of the property. If he* docs not prove as to under what circumstances he is in possession of the property, he would be evicted. Within three months, the case would be decided. The the owner of the property need not prov.. The trespasser must prove, under the land grabbing prevention Act. The court would then decide who is. *Prima facie*. The holder of the property. Therefore, this has to be looked into.

As I suggested earlier, the land grabbing prevention Act must be made applicable to the Wakf Board in such a way that the trespassers are punished.

Another thing is: the Transfer of Property Act should not apply to-the Wakf Board. You must make it a point and bring in a fresh Act. Apart from this, you should also make a law that the ground of adverse possession would not be applicable, not only to the Wakf Board, but to the endowment properties and church properties as well. It is because of this that the litigants are taking shelter; under the plea of adverse possession. A person would say: 'I am in possession of the property for more than twelve years'. The court would grant an interim injunction. The people are taking advantage of such a thing. That iswhy I suggest that you must make a specific law that the ground of adversc possession is not applicable to the Wakf Board as well as to the other religious properties. Unless we do this, we will not be in a position to remove encroachment. The problem cannot be solved by our going on making speeches in Parliament. We have to come up with a deterrent theory. We have to come up with a deterrent law. We have to come down with a heavy" hand and prevent such litigations.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would like to point out that there is already a recommendation, recommendation of the Wakf Council, to this effect: that it

should be exempted from all these normal laws. This is because the wakf property—for that matter, any other religious property; whether it is a church property, a temple property or any other property—is meant for the benefit of the people; not individuals. The other Acts should not apply to it. The Rent Control Act should also not apply to it. This was the recommendation of the Wakf Council. But it was later on changed by the Law Ministry. I know what was happening.

SHRI SAIFULLA: Finally, Madam, part from the need for the change in the law, there a lacuna in the Act. Everybody is saying that mutawallis were caught and misappropriation is there. The Act must be enforced and all the mutawallis must be removed. A management committee must be there. If there are three, four persons to look after wakf properties, there should be unity in multiplicity to see that there is no fraud. If only one mutawalli is there, he may have vested interest and lease out the property to whomever he likes. So, all these mutawallis must be removed.

Also, as per the new Act of 1995, tribunals arc not being formed by the State Governments. So, tribunals have to be formed. The tribunals have to come into existence to avoid perpetuating litigation from District Court to High Court and High Court to Supreme Court. Once a tribunal gives an award, a superior court will have to look into only the legal aspects of the matter.

Madam, I am thankful to you for giving me time to speak. I also concur with whatever my friend, Mr. Md. Salim has stated. A House Committee has to be formed. There is need for a lot of change in the Wakfs Act. This 1995 Act is absolutely equal to the 1954 Act. Some legal people should be there on the House Committee so that they could guide how this Act has to be changed. Thank you.

SHRI SANATAN BISI* Thank you. Madam, for giving me this opportunity. First of all I submit that so far as the statement made by the hon. Minister is concerned, it is silent so far as sections 9, 13, 32, 70, 71, 81, % and 96 are concerned. If all these things were there Members could have stated something on all these points, as a result of which we could have resolved something.

First of all I submit that so far as section 9—Central Council—is concerned, the powers and functions of the Central Council are very limited. They are only for the purpose of advising, working of the Board and due administration. The Central Council does not have anything else except what I have mentioned.

So far as the establishment of the Boards is concerned, the Boards are being constituted by virtue of the State notification. And what are the powers and functions of the Board? They are mentioned in section 32: superintendence, maintenance, control and administration, proper application and proper utilisation of the income, gift, sale, mortgage or lease with sanction, not present.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnata^: My colleagues have already mentioned about the misuse of the wakf property in the country. Madam, the 1954 Wakf Act was enacted by Parliament with the farsigthedness of Abul Azad, Maulana Kalam unfortunately, it could not be properly implemented because the people, who initiated it, were not there to implement it. A lot of things have been said about the misuse. There are three types of people who have been misusing the wakf property. As Shri Md. Salim has said, the Government is one of the encroachers of the wakf property. It is not that I am saying it. The Government itself has admitted it. The Government had appointed the Burncy Committee, which had submitted its report in 1978. It was in the press reports that the then Prime

Minister. Shrimati Indira Gandhi had said that the Government bodies will be told to vacate the wakf property. Not a single wakf property has been transferred from the Government. In Delhi alone, 299 properties had been identified by no less a person than the then Home Secretary, Shri Burncy, who, later on became the Governor of Haryana. No action has been taken since then. I would like to know from the Minister as to what action he proposes to take, because the report is there.

Shri Sikander Bakht has rightly said that the second encroachers are the Muthawallis themselves. It is here we are asking for a stringent law. Muthawallis are misusing the properties. They are selling them or leasing them. Yes, we have to blame the community also. So, we are asking for a stringent law. We are not able to implement even the existing laws.

Madam, when we passed the 1995 Wakf Bill, you had created history by insisting that a few amendments had to be incorporated. I moved ten amendments keeping in view that encroachments and misuse of property should not be allowed. It had been assured on the floor of the House that the Government would take up ,those amendments in due course. I would request the hon. Minister to look into that. Madam, the third thing is the will of the Government, the will of the bureaucracy. The wakf board itself will not be able to do anything even if you give it an Act. They are not the agents to implement it. The wakf board has to depend on the district administration and the Government to clear the encroachments and trespasses. There is a need for amending the law and bringing all wakf properties at par with public properties. Madam, what is the difference between a public property and a wakf property? A wakfproperty is also a public property. Then, whatever law is

What I had submitted when I raised my point of order was that all these things are being done by the Board and the Board is being constituted by the State Government, and the Central Government has nothing to do with it—whatever the hon. Member there may have submitted.

So far as section 70 is concerned, it is about inquiry by Board on application supported by affidavit, about a property being mismanaged. When the properties are being mismanaged, an individual who is concerned with the interests of the property, can safely file an application stating that this has taken place without prior permission, attachment has been made and encroachment has been done. All these things could be done by virtue of filing an affidavit so that due inquiry could be conducted by the Board.

So far as secton 71—manner of holding inquiry and power of the State under C.P.C.—is concerned, the Board can conduct an inquiry into whatever allegations that are presently being made.

Then, Madam, the State Government has to constitute tribunals to determine about disputes and questions.

Lastly, Madam, since we are talking much about it here, I would read out section 99. This is very, very, important. It is clearly stated in section 99, "If the State Government is of the opinion that the Board is unable to perform or has persistently made default in the performance of the duty imposed on it by or under this Act, or has exceeded or abused its power wilfully and without sufficient cause failed to comply with any direction issued by the Central Government under section 96 -or the State Government, under section 97, if the State Government is satisfied on consideration of any report submitted after the annual inspection, that the Board's continuance is likely to be injurious to the interests of the wakfs in the State, the Government may, by notification in the Official Gazette,

Importance

supersede the Board for a period not exceeding six months." So, the provision is very clear so far as section 99 is concerned. Lastly I ask so far as Section 96 is concerned, to what extent the Central Government can go for the purpose of regulating the secular activities of the Wakf. The Central Government shall have the following powers and functions viz.:

To lay down general principles and policies of the Wakf administration in so far as they relate to the secular activities of the Wakf.

Secondly, to coordinate the functions of the Central, Wakf Council/Board, as they relate to their secular functions;

Thirdly, to review administration of secular activities of the wakf.

They do that generally to suggest improvement.

So, my only .question to the hon. Minister is how many applications/ reports have been submitted to different State Governments in regard to the violation of secular activities of the Board.

THE DEPUTY CHI ARM AN: Shri Mohd. Masud Khan, Shri Samadani and Shri John F. Fernades. Hon. Members not present.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): My colleagues have already mentioned about the misuse of the wakf property in the country, Madam, the 1954 Wakf Act was enacted by Parliament with the farsigthedness of Maulana Abul Kalam Azad, but, unfortunately, it could not be properly implemented because the people, who ipitiated it, were not there to implement it. A lot of things have been said about the misuse. There are three types of people who have been misusing the wakf property. As Shri Md. Salim has said, the Government is one of the encroachers of the wakf property. It is not that I am saying it. The Government itself has admitted it. The Government had appointed the Burney Committee, which

had submitted its report in 1978. It was in the press reports that the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi had said that the Government bodies will be told to vacate the wakf property. Not a single wakf property has been transferred from the Government. In Delhi alone, 299" properties had been identified by no less a person than the then Home Secretary, Shri Burney, who, later on became the Governor of Haryana. No action has been taken since then. I would like to know from the Minister as to what action he proposes to take, because the report is there.

Shri Sikander Bakht has rightly said that the second encroachers are the Muthawallis themselves. It is here we are arc asking for a stringent law. Muthawallis are misusing the properties. They are selling them or leasing them. Yes, we have to blame the community also. So, we are asking for a stringent law. We are not able to implement even the existing laws.

Madam, when we passed the 1995 Wakf Bill, you had created history by insisting that a few amendments had to be incorporated. I moved ten amendments keeping in view that encroachments and misuse of property should not be allowed. It had been assured on the floor of the House that the Government would take up those amendments in due course. I would request the hon. Minister to look into that. Madam, the third thing is the will of the Government, the will of the bureaucracy. The wakf board itself will not be able to do anything even if you give it an Act. They are not the agents to implement it. The wakf board has to debend on the district administration and the Government to clear the encroachments and trespasses. There is a need for amending the law and bringing all wakf properties at par with public properties. Madam, what is the difference between a public property and a wakf property? A wakf property is also a public property. Then, whatever law is

applicable to a government property or a public property should be applicable to a wakf property or an endowment property or a church property. When there is no personal interest of anybody in a property, that property is a public property and protecting that property becomes the duty of the Government. Today, there are more than three lakh wakf properties in the country. Out of that, more than 50 per cent of the properties are either encroached or misused. How are they encroaching? Because there is a rent Control Act. We have been requesting, for the last 20 years, that the Rent Control Act should not be applicable to wakf properties. When it is not applicable to a government property or a public property, why should the rent control act be applicable to a wakf property? What happens is, for 20 years or 30 years, one 'mutavalli' might have given the property on a rent of Rs. 10/- and that person will be enjoying; and the wakf will be getting only Rs. 10/-. For example, in Bangalore, the Windsor Manor Hotel, a five-star hotel, is given. As you know, Madam, the Act has its own history. You are aware of it. It has taken 25 years from the time you enunciated it to the time you actually passed it. Even then, the law is not perfect. There is a need for a lot of amendments in the law. Unless that is done, it is not possible to solve the problem.

Then, for development, there are no resources. Thousands of wakf properties are there. We have to develop them. Where do we get the resources from? The Government is giving out Rs. one crore and twenty-five lakhs annually to the Central Wakf Council for a revolving fund. I would request the hon. Minister to make the Central Wakf Council also an elected, representative, body. It should not be just an advisory body. Wakf is a concurrent subject. The Central Government is not helpless. Wakf is a concurrent subject according to your own publication. You can bring a legislation.

So, the Central Wakf Council should be a regulatory body instead of just being an advisory body. You are getting a percentage of the income of the wakf board. Whether it is one per cent or half a per cent, you are being paid from the various wakf boards. Whatever income they are earning, a percentage of* the income is coming to the Central Wakf Council. So, naturally, the Central Wakf Council should be strengthened. After preventing misuse, we have to see how we can develop. I would request the hon. Minister to incorporate or create a Wakf Development Corporation. We have three lakh wakf institutions. The money is there with the wakf itself. We need not even go out for getting money from outside. If all these three lakh wakf institutions contribute, you can create a Wakf Development Corporation. Through that corporation, you can develop wakf properties. Now, there is no agency to develop the wakf property. You have to depend on the individual muthawalli. He may or may not do it. So, if there is a body which will take care of the development of the wakf property, then that body can also raise the resources like any other development body. In Karnataka, in 1977 itself, a Wakf Development Corporation was set up. I am coming from a State where there is misuse of the wakf property. But we have developed the largest number of wakf properties in Karnataka for better use, for education and for economic upliftment. According to the Central Wakf Council, the maximum benefit from the Central Wakf Council has gone to Karnataka. They have developed twenty-six properties and there income is nearly Rs. two crores per month. As per Mr. Salim and Mr. Sikander Bakht, normally the income of the Wakf Board is Rs. seven lacs per month. So, it has been shown that the wakf properties can be developed. Mr. Singla as well as Mr. Sikander Bakht have said that we need depend on any favour. If the wakf properties are developed, the tag of appeasement of the minorities will go

away. Then the Wakf Board properties could be utilised for various developmental purposes. So, I request the hon. Minister to constitute a House Committee and refer the matter to the House Committee. The House Committee should go into all these aspects and give a report to Parliament within three months. The House Committee can go into all the details which have been discussed in this House and submit its report within a time limit. I think this can be done. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Margabandu is not here. Mr. Fernandes, Mr. Ansari, Mr. Shastri and Mr. Ahluwalia, have given their names. We have just twenty minutes and the Minister has also to reply within this time. I do not know how to adjust it

SHRI JOHN F. FERNANDES: All of us can speak for two minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Fernandes, I start with you.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, my main purpose was to bring out certain anomalies in the principal Act which was passed in 1995. The Wakf Boards are supposed to do it for a very noble cause. This is a legacy given to us by the British raj. We have to accept that. Now, if our country is dishonest, I don't think we will be able to fulfil the target for which the Wakf Boards were constituted. The hon. Minister has mentioned that the main purpose of the Wakf Act 199S is to have control on the State Governments wherever the property is being misused. But I don't think the legislation which he brought will fulfil the need. The Minister has mentioned here that it would prevent the sale or transfer. Had the Law Minister been here it would have been here. The word 'lease' has not been included. Nowadays, the law of accession in our country is subverted by the word 'fease'. Instead of purchasing those land by paying crores of rupees, most of the industrial houses and the corporate houses take the land on one rupee lease

for 99 years. In the bargain, you fulfil the purpose but cheat the State exchequer and you also defraud the institutions like the Wakf Board. Unfortunately, we don't have this institution in Goa. But we have a similar institution in Goa because Goa was under the Portguese rule. We have the Protector of Evacuee Property—the property which has been left by the Goan. the Indian nationals, who have fled to other colonics. Some of those properties arc being misused by the mine owners in Goa. In the absence of proper Central authority, the property vests in the Ministry of External Affairs and the State Government has been given the responsibility to take care of the same. So, it is the similar anomaly. I would request the hon. Minister to sec to it that a Central Wakf Board Commission is appointed because the Wakf Act of 1995 has given all the powers to the State Governments to form the Wakf Boards, to get them elected and to control them. I think the role of the Central Government is minimal. Therefore, I would suggest that the Central Commission should be appointed which can act as an appellate authority also. If any decision is not properly implemented by the Board, it will go to the Tribunal and finally it comes to the Central level with a final appeal. So, I hope that the hon. Minister will take that suggestion into consideration and he will also see that the loopholes arc plugged because they have only mentioned 'transfer of properties by way of deed, sale, exchange or mortgage'. 'Lease' is not there. That is the main clause which is to be included. I hope that the hon. Minister will take that into consideration.

Again. Madam, the Minister has mentioned that it is not mandatory for the State Governments to implement this Act because they are requesting or pleading with the State Governments. I think that a provision is to be brought that mandatorily the State Government should switch over from the old Act to the new Act, the Wakf Act of 1995. That mechanism has not been introduced in the Wakf

Act of 1995 because they are going to plead with or implore upon the State Governments to implement the new Act. So, this is the main purpose of my pointing out these anomalies and I hope that the hon. Minister will react favourably, (ends)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mantri-ji, before I ask Mr. Ansari to speak,—I will be asking Mr. Salim to take over— you have mentioned about constitution of a House Committee, as proposed by two Members. If you feel—and you have accepted it—if you want to have a House Committee, you can write to the hon. Chairman and. if the House so agrees, then the various political parties will send the names of Members of their parties to be Members of that House Committee. So, you should write to the hon. Chairman.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Madam. I have already accepted it. The Government is fully prepared and ready to go in for a House Comittee and I request you and the hon. Chairman to select the Members of the Committee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. 1 will apprise the hon. Chairman about it and whatever the procedure is for appointing a Committee, that would be followed.

श्री अलालुदीन अंसारी (बिहार): मैडम, वक्फ की जो जायदाद है, पूरे मुल्क में उसका नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो मकसद इसका था कि वक्फ की जायदाद के ज़िरए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो बेबाएं हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके मां-वाप नहीं है, उनकी देखमाल, उनकी पढ़ाई-लिखाई और उनको एक इंसान की शक्स में खड़ा किया जा सके, यह एक बड़ा मकसद था लेकिन आप देखेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर वक्फ की जायदाद को गरमत तरीके से, इस्तेमाल किया जा रहा है। 1995 में वक्फ ऐक्ट बना, उसमें जो भी प्रोविज़न है, उसका भी इस्तेमाल राज्य सरकार नहीं कर रही हैं और राज्यों के अंदर भी जो कानून है, उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक सियासी समझ है। वह बया है? अगर वक्फ

की जायदार पर मुतविल्लमों का कब्बा है या जिनमें उस समाज के बड़े लोगों का कब्बा है, वही वोट के सौदागर है और उनके खिलाफ कड़ी कर्मवाई की जाएगी तो मुस्लिम वोटर बिगड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उसमें बेस्टेड इंटरेस्ट है और सरकार चलाने जाले लोगों की यह कमज़ीर्य रही है, चाहे जिनकी भी सरकार हो और खास बत्तके यह मज़हब की बात आ जाती है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात आ जाती है और इसलिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इसमें मुधार किया जाए और उस जायदाद को बचाया जाए और उससे मुस्लिम कम्युनिटी को जिस मकसद से बक्फ की जायदाद को जिन्होंने डोनेट किया था, उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खुश होंगे और उसका उनको फायदा मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष (ब्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए

अभी नहीं मिल रहा है। चन्द्र मुद्री भर लोग उसका बेजा फायदा, नाजावज सरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से जो भी प्रॉपटीज़ हैं, चाहे वह क्रिश्चियन की हो या वह धार्मिक न्यास कमेटी हो, उसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसका हो रहा है। धार्मिक न्वास कमेटी के जरिए भी जो हिन्दू समाज को फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। उसी तरह से क्रिश्यन और दूसरी कम्युनिटी को भी फायदा नहीं मिल रहा है। अभी वरूफ की जायदाद को लीज़ पर दिवा जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? मैं सरकार से कहना चाहंगा कि जितने सारे लीज है, यह लीज देने की क्या व्यवस्था है और अगर है तो इसको रोका जाए। आप ऐक्ट में अमेंडमेंट कीजिए। हमारे साथियों ने अभी सझाव दिया है कि 1995 का जो ऐक्ट है, वक्फ ऐक्ट, उसमें काफी लुपहोल्स है और जो प्रोबीजन हैं, उसको नीचे तक लागु नहीं किया जा रहा है। जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, उसमें कहा है कि चार राज्यों में कार्यवाही शुरू हुई है लेकिन पूरे मुल्क में, अन्य सूबों में क्या हो रहा है और यह कब तक होगा, यह बहुत ही संजीदा और गंभीर मसला है। हमारे साथी लोग इस पर बोले हैं, समय नहीं है। हम चाहते हैं कि जो शक्फ की आयदाद है, उस पर जो गैर-काननी कब्बा है उसमें सरकार भी इनकोचर है. मतवस्सी भी इन्होंचर है. वेस्टेड इंटरस्ट के जो प्रभावशाली लोग है, वह भी है। उनसे इस जायदाद को मुक्त कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, यह हम जवाब चाहेंगे। दूसरी बात है कि अभी सुझाव आया है कि सदन की कमेटी बनायी जाए, हाउस कमेटी

to Matter

बनायी जाए। मेरा भी सुझाव है कि हाउस कमेटी बनायां आए। मंत्री महोदय भी इस पर सहमत है कि हाउस कमेटी एक लिमिटेड टाइम के अंदर रिपोर्ट दे दे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आवश्यक कार्यवाही करे। जरूरत के मुताबिक कंजीहासिव बिल भी लाया जा सकता है तांकि वक्फ की प्रापर्टी का सही इस्तेमाल हो और जो मकसद था तथा अभी भी है, उसका लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों को मिल सके। उसका नाजायज इस्तेमाल चंद मुद्दी भर लोग न कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए हम हाउस कनेटी बनाने की मांग का समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे कि सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी इस दिशा में सही कदम उठाएं, टोस कमद उठाएं तांकि इस गंभीर मसले का सही हल निकल सके और लोगों को लाभ हो सके।

श्री विच्या कान्त शास्त्रीः माननीय उपसभाध्यक्ष जी. जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है, उसमें करोडों मुसलमान भाइयों की चिंता शामिल है, उनका भला होना चाहिए, जिन लोगों ने खुदा के नाम पर अपनी सम्पत्ति दी। जो वाकिफ हुए और उन वाकिफों ने उसे शर्ते लगाकर समाज की सेवा के लिए अपनी सम्पत्ति दी है, जिसमें धार्मिक उपयोग के बाद सामाजिक सेवा का भी अवसर मिलता है, उसका दरूपयोग करना अपराध है और उस अपराध को रोकने के लिए सख्ती बरतनी चाहिए। यह दुर्माग्य की बात है कि जितनी सख्ती बरतनी चाहिए थी, उतनी सख्ती अभी तक सरकार ने नहीं बरती। यह अच्छी बात है कि इस दिशा में पहल हुई है और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने समिति बनाने की बात स्वीकार कर की है। जो सम्पत्ति को लेकर गडबहियां हुई हैं, उनके बारे में बहत सी बातें कहीं गयी हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि मंत्री जी का वक्तव्य पूर्ण नहीं है। मैं उन्हों के वक्तव्य की याद दिलाऊं। उन्होंने १ अगस्त को तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, उस समय उन्होंने केवल पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया था. आप ही का उत्तर है:---

"The Government has no information regarding illegal sale or transfer of Wakf properties except in respect of West Bengal. The Government of West Bengal has confirmed the receipt of complaints regarding mismanagement of Wakf properties and institution of a departmental enquiry to look into them."

उसमें भी आपने कहा था कि आफ्को इन्ववायरी की रिपोर्ट नहीं मिली। आज भी आप कहते हैं कि इन्ववायरी की रिपोर्ट नहीं मिली। आप चाहते तो मैं ही इन्ववायरी की रिपोर्ट आपको दे सकता था। सवाल यह नहीं है कि क्या मिला क्या नहीं मिला? सवाल यह है कि जिस समय आप कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल में गम्भीर असंवैधानिकता हुई और आज जो उसर दे रहे हैं उसमें आपने पश्चिमी बंगाल को एक सर्टीफिकेट-सा दे दिया है। उसमें उसके किसी अपराध का कोई उल्लेख नहीं है। मेरे मित्रों ने पश्चिमी बंगाल की सरकार को यह प्रमाण-पत्र दिया कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे एक शेर याद आ रहा है।

"करीब है चार रोजे महरार, छुपेगा कुश्तों काखून क्योंकर।

जो चुप रहेगी जनाने खंजर, लहू पुकारेगा आसीं का।"

यह जो काम पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया है, यह आश्चर्यजनक है। 19 क्यों से वामपंथी सरकार वहां मौजूद है। पश्चिमी बंगाल के ए॰जी॰ की रिपोर्ट आई है और उस अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है—

"The AG, Bengal, in his report has categorically stated that the Wakf Board, which was supposed to supervise the functioning of the State's 16,000 Wakfs and collect taxes from them, gravely failed in its duty."

मझे मालम नहीं कि हमारे मंत्री जी को इसकी जानकारी है या नहीं है। मैं बहुत ही गम्मीरता से यह बताना चाहता हूं कि जो प्रमाण-पत्र पश्चिमी बंगाल की सरकार को दिया जा रहा है उसकी स्थिति यह है कि वहां पिछले 15 वर्ष से कोई ऑडिट नहीं हुआ है। वहां पर 126 बड़ी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का कोई हवाला उनके वक्फ बोर्ड में नहीं है। यहां के वक्फ बोर्ड के तमाम कागजात लापता है और वक्फ बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है। करोड़ों रूपये का घपला, पश्चिमी बंगाल का सबसे बडा भ्रष्टाचार, उसके लिए किसी भी मंत्री को दण्ड नहीं दिया गया बल्कि उन मंत्रियों को पुरस्कृत किया गया है। माननीय मंत्री जी ने एक कार्यरत न्यायाधीश के अधीन एक जांच समिति नियुक्त की है उसका मैं खागत करता हं। लेकिन मैं कह भी बताना चाहता हं कि.. (..ळ्यवधान...) मैं इसका स्थागत करता हं लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ए०जी॰ ने यह कहा था कि अगर यह नहीं होगा तो मैं कम्पटोलर एंड ऑडिटर जनरल

क माध्यम से यह जांच करवाऊंगा। मैं आपसे यह जानना चहता है कि इस समय पश्चिमी बंगाल की बया स्थिति है? पश्चिमी बंगाल ने अभी तक क्यों नहीं इस बात को स्वीकार किया हैं है एक जनवरी, % से जो कानून लागू है वैह कानून क्यों नहीं खोकार किया गया है? चार और राज्यों ने स्वीकार किया है, महाराष्ट्र ने स्वीकार किया है जिसके बार में आप बहत आपत्ति कर रहे थे, तो पश्चिमी बंगाल की सरकार ने उस कानून को क्यों नहीं स्वीकार किया? मैं आपको यह बताना चाहता हं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार इस क्षेत्र में अपराधी धोषित हुई है। चोरी करे न्यामक और दान करे शुद्र। जरूर उन्होंने ..(**व्यवधान.**.) मैं उसका खागत करता हं लेकिन जो करोडों रूपये की सम्पत्ति..(स्थवधान...) मैं यह बताना चाहता हं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने मुस्लिम भाइयों के साथ जितनी ज्यादती की है, उसके बारे में उसका कोई मुकाबला नहीं है। (स्थवधान)

DR. BIPLAB DASGUPTA: Mr. Shastri, just a minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD SALIM): Mr. Shastri, are you yielding or not? (Interruptions). Kindly conclude.

श्री विष्णु कान्त आसबी: मैं बताना चाहता है कि जे बात अभी रहमान खान साहब ने कही, वह बात स्बीकार कर ली जाये..(व्यवधान..)

उपसभाध्यक्ष (मोहम्पद सलीम): शास्त्री जी समाप्त क्षीजिए।

भी विष्णु कान्त शास्त्री: मैं आपके सामने यह विनयतापर्वक कहना चाहता है कि इस विश्वय में हम सब एक मत है कि क्क्फ को सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। त्रक्फ की सम्पत्ति का जहां-जहां पर दुरुपयोग हुआ है, वहां-वहां उनको दिष्टित किया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने दण्डित नहीं किया है बहिक उसने अपने मंत्रियों को पुरस्कृत किया है। यह तथ्य है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हुं कि आप 1995 के कानून को देश के सभी राज्यों से लागु करने का आग्रह करें और उसको यथासंभव शीघ लाग करवायें। मैं आपसे यह अपील करना चाहता 🗣 कि कोई एक ऐसी व्यवस्था करें कि केन्द्रीय सरकार मानिटरिंग कर सके कि कहां-कहां किस राज्य में क्कफ प्रोपर्टी का दहपयोग होता है। मैं आपसे यह अपील करना चाहना है कि हर वक्क बोर्ड की प्रतिवर्ष आहिट रिपोर्ट आपके पास भेजी जाये। जिस क्कत आडिट रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास न आये उस वक्त आप उनसे सवाल पूछे। 15-15 साल से क्क्फ बोर्ड की रिपोर्ट पश्चिमी बंगाल से केन्द्रीय सरकार के पास नहीं आई है। इसके बारे में कीन जिम्मेख्य है और क्या यह केन्द्र सरकार के लिए लज्जाजनक बात नहीं है क्योंकि प्राने कानून के अनुसार भी, 1954 के कानून के अनुसार भी जो एक्ट था उसकी 62वीं धारा में केन्द्रीय सरकार के पास यह अधिकार था कि वह राज्य सरकारों से वक्फ बोर्ड़ों के बारे में सवाल-जवाब कर सके परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि आपके मंत्रित्व में ऐसी बात हो। इसकी मैं आशा करता हूं और आपसे इसके मांग करता हं आप पर देश में वर्षिक की सम्पत्ति का पूनः उद्धार करने के लिए नियम बज़ायें और उनका पालन करें।

भी एस॰एस॰ अहलुवालिया (बिहार)ः उपसभा-ध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ कहत गर्माहर पैदा हो गई है। सदन में बहत सारे सवाल उठे जबकि मुद्दा बहुत छोटा सा था। इसको हम जितना बढ़ायेंगे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करके यह बढ़ता जायेगा लेकिन मुद्दा यह है कि कि खुदा का खीफ खाने वाले हर भूसलमान का यह फर्ज बनता है कि वह अपनी कमाई हुई अनयदाद का कुछ हिस्सा खुदा के नाम पर दे दे। खुदा के नाम दी हुई जायदाद का हिस्सा किस काम में लाया जाये. वह भी निश्चित किया हुआ है कि वह उसके लिए धार्मिक मुसाफिर खाने बना सके या बेवाओं के रहने के लिए घर या भूमिहीनों को वह जमीन दी जायेगी या मदरसे खोले आयेंगे। यह सिर्फ मुसलमानों में हो नहीं हिन्दू, सिख्न और क्रिश्चियन्स में भी होता है। महोदय, आप तो जानते ही है कि मैं सिख परिवार से आता है। हमारे यहां गुरू का आदेश है कि हम अपनी कमाई का दसवां हिस्सा गुरु के नाम दें और जब गुरु के नाम देते हैं तो वह किस काम में लाया जाये उसका निर्देश दिवा गया है कि उसको अच्छे काम में लगाया जाये उसी तरह से सेवाइत और देवाइत के नाम पर हिन्दू धर्म के लोग अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा देवताओं के नाम पर देवियों के जाम पर देते हैं जो मंदिर और मठों का हिस्सा अन जाता है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन्स लोग गिरजाधर के लिए जमीन देते हैं. जिससे आर्फन हाउस बनते हैं, यतीम-खाने बनते हैं या ओल्ड एज होम बनते है या स्कूल आदि बनाते हैं। लेकिन हमने पाया कि जो धार्मिक ठेकेटर लोग आज बैठे हुए हैं वे इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनका दरुपयोग हो। आज जो जमीने बहे-बड़े शहरों में हैं, उसकी कीमतें दिन पर दिन, रातों-रात बढ़ रही है। जो बिल्डर्स का प्रलोधन है, बड़ी-बड़ी कम्पनियों का जो प्रलोधन है वे अपना ध्यान इस ओर आकर्षिक कर रहे हैं क्क्फ बोर्डों की जमीन, वाहे मुसलमानों की हो या क्रिश्चियन्स के गिरआधरों की

क्यीन हो या चाहे कह किसी महत्त के अंडर जमीन हो या किसी भी मत की जमीन हो या किसी जत्थेटार के अंडर किसी गुरुद्वारे की जमीन हो, सबको खतरा पहुंच रहा है और ये लोग बड़े-बड़े प्रलोभन देकर आये दिन नवा-नवा रास्ता निकास सेते हैं कि इसको सीज पर दे दो, इसको गिफ्ट में दे दिवा जाये। किसी-किसी आदमी को बैठाकर कोई बहाना बनाकर, उसको किराये पर या लीज पर चढाया जाता है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। यह बात सदन के अन्दर और सदन के बाहर बहत दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। आज यह बात उठी है कि बंगाल में इसका दुरुपयोग हुआ है। सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि सारे भारत में इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाये, इसका रास्ता हमें ढंढना चाहिये।

भहोदय, मैं सबसे बड़ी बात कहता हं कि सदन में सब लोगों ने यह बात उठाई थी। आज करीब तीन लाख से ज्यादा प्रोपर्टी वक्फ बोर्ड की पूरे हिन्दुस्तान में है। जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो मस्लिम लोग भाइपेट हुए वेस्ट बंगाल में या ईस्ट बंगाल में। उनकी जमीन वहां रह गई। उसको कहीं तो आइडेटीफाई करिये कि यह ऐनीमीज प्रोपर्टी कहां है। अभी जिस तरह हमारे दोस्त आदरणीय जान फर्नान्डीज जो बता रहे थे कि पूर्तगीज प्रोपर्टी का किस तरह से दरुपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से ऐनिमोज प्रोपर्टी का दुरुपयोग हुआ। कब उन लोगों ने ऐनिमीज भापटीं से निकालकर उसे वक्फ प्रोपर्टी में इन्सर्ट कर दिया किसी को पता ही नहीं चला। आज तक इसका कोई सर्वे नहीं हुआ। महोदय, सबसे बडी जरूरत यह है कि इस भात का सर्वे हो कि ऐनमीज प्रोपर्टी को कम कन्वर्ट करके यक्फ प्रोपर्टी में इन्कलुड कर दिया गया। महोदय, इसके पहले जस्टिस बर्नी रिपोर्ट में भी आया था कि सबसे बड़ा इन्क्रोचर कौन है? सरकार है। वक्फ प्रोपर्टी की सबसे बडी इन्होंचर सरकार है और उसके बाद वह लोग, मुत्तली लोग, जिन्होंने अपने आगे सस्ती दरों पर उसको किराए पर चढाया है। जिस परपज के लिए यह प्रोपर्टी दी गई थी उसके लिए उनका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इसके बारे में कीई मोनेटरिंग कमेटी नहीं है। एक नेशनल कमीशन जरूर इसके ऊपर हो जो इसको कन्ट्रोल कर सके।

इस सदन के सदस्यों ने मांग की कि इसके लिए हाउस कमेटी बननी चाहिए और हमारे माननीय मंत्री श्री रामुवालिया जी ने तुरस हड़बड़ी में इसको मान लिया कि मैं हाउस कमेटी बनाऊंगा। पर मैं उनसे आपके माध्यम से मांग करता हं कि सिर्फ वक्फ कमेटी को आप क्यों

ऐलीमिनेट और आईसोलेट करते हैं। हर धार्मिक न्यास समिति में यही घपला चल रहा है। मठों में लोग बैठे हए हैं. वहां यही घपला चल रहा है। धर्म के नाम पर क्यले चल रहे हैं। **बड़े-बड़े गिरजाधरों** के अंदर जो लोग बैठे हैं वे भी धर्म के नाम पर बपले चला रहे हैं। जो लोग बड़े-बड़े गुरुद्वारों में बैठे हैं वे घपले करा रहे हैं। इनको कौन करेगा? ये चुंकि माइनारिटी के हैं, मुसलमान हैं इसलिए आप उनको इस तरह से आईसोलेट करके घेरना चाहते हैं। आपको अगर हाउस की कमेटी बनानी है तो उसके टर्म आफ रेफरेंस में लिखिए कि जितने भी देवायित और सेवायित, कम्फ की, खुदा के नाम पर दी हुई जमीने हैं अल्लाह को दी हुई जमीने हैं, गाँड को दी हुई जमीनें हैं, देवी-देवताओं के नाम पर दी हुई जमीनें हैं, गुरु के नाम पर दी हुई जमीने हैं, इन सारी जमीनों का पहले सर्वे कराया जाए और उस सर्वे रिपोर्ट के बाद देखा जाए कि पिछले दस सालों में, बीस सालों में, तीस सालों में, 50 सालों में वे जमीने किन को अलाट की नई है। पहले यह देखा जाए तभी हाउस कमेटी जकमेंट कर सकेगी और जस्टिस दे सकेगी।

मैं उम्मीद करता हं कि मंत्री महोदय मेरी इस बात को मानेंगे। आप सिर्फ इस कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहे है, ऐसा मत करिए। धन्यवाद।

ब्री बलवन्त सिंह रामुकालियाः माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, एक मृददा जो आज की बहस के बाद उभरा है, वह यह है कि इस पर भी माननीय सदस्यों ने बहुत फिक्रमंदी जाहिर की है। जो यह प्रोपर्टी पर इन्क्रोचमेंट है, इसके बारे में बहुत जोर से फिक्र यहां पर जाहिर की गई। मैं कहना चाहता हूं कि 1995 का जो क्कफ ऐक्ट है वह पिछले ऐक्ट, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, एक ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से प्रावधान ऐसे सामने आए हैं जिनसे जेरदार गारटी होती है कि अब हम वक्फ की जमीन को बचा सकते हैं। बक्फ की जायदाद पर, वक्फ ऐक्ट, 1995 के आर्टिकल 103 के मातहत अब टाइम लिमिट, टाइम एक्सपायरी की बात खत्म हो गई है। हम किसी भी प्रापर्टी के खाहे वह कितने ही क्वों से किसी के पास हो. उसके बारे में उसको खाली कराने के बारे में उससे क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा अब इसमें प्रावधान किया

दूसरी बात जो बहत से सज्जनों द्वारा कही गई, अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर उस पर किसी का दस साल से कब्जा है. 12 साल से कब्जा है तो वह उसकी जायदाद हो जाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इस एकट की रूह से इम इसमें दखल दे सकते हैं। दूसरी बात, मुसवल्ली के किरदार पर शक करने की है, उसके एक्ट आफ ओमिशन एंड कमीशन की है, इसके बारे में खदशा ज़िंहर किया गया। इसी एक्ट के सेक्शन 64 के अनुसार, यह सारा सेक्शन मुसवल्ली को एड्स करता है, इसके ज़िरये मुसवल्ली के खिलाफ केस हो सकता है, उसे फीनशेबल आफेंस के तहत गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसको रिमूच भी किया जा सकता है। जिन सजनों ने यह खदशा ज़ाहिर किया है, अब इस स्यष्टीकरण से उनकी तसल्ली हो जाएगी।

अब वक्फ प्रोपरीं के प्रोटेक्शन का मामला उठाया गया है। मानृतीय सदस्य फर्नाडीस साहब जो गोआ से हैं, उन्होंने कहा कि लीज़ का शब्द इसमें नहीं है। मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि इस एवट की रूह से हम इस बात को बचाते हैं कोई भी वक्फ की प्रोपर्टी हो उसका गिफ्ट, सेल, एक्सचेंज या मोर्टगेज अगर वक्फ बोर्ड की मर्ज़ी के बगैर होगा तो वह वायड होगा. गलत होगा। लीज़ का लपज़ इसमें नहीं है, इसका कितना नुकसान होगा, लॉ डिपार्टमेंट ने एक्ट बनाते वक्त अधारिटीज़ ने क्या सोचा, इसके बारे में मैं इतना ही कहंगा कि हाऊस कमेटी का मैंने माना है कि वह भी इस पुद्दे को देख सकते हैं। जो कुछ भी कहा गया है कर्नाटक से इमारे आनरेबल मैम्बर ने कहा कि वक्फ इवलपमेट कॉरपोरेशन बनाई जाए। सरकार के सामने इस क्कत ऐसा कोई मृददा नहीं है। मैंने सभी स्टेट्स को लिखा है कि फ़ौरी तौर पर 1995 के एक्ट के तहत क्कफ बोर्ड बनाए जाएं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है, चार हटेट्स ने शुरू कर दिया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मुझे लिखा है कि हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। दिल्ली सरकार जो लोकल दिल्ली युनियन टेरीटरी गवर्नमेंट है, अभी तक उन्होंने कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया है। उन्होंने कहा था कि कोई सज्जन कोर्ट में चले गये। उन्होंने बहां यह कहा कि हमारे पास ताकत ही नहीं है, हमें आंथोराइज नहीं किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने ठीक कहा था। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है। वहां बी॰जे॰पी॰ की गवर्नमेंट है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की कोई बेईमानी नहीं थी। उन्होंने ऑनेस्टली कहा कि हमें ताकत नहीं है। मैंने जब इन्यवायरी की तो पता चला कि उनको ताकत नहीं थी। 19 अगस्त को मैंने ऑथोराइज़ेशन दे दिया है। (व्यवधान)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालियाः ताकत की सुई दे दी है। **श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः** सरकार अहलुवालिया जी ने **जे मुद्**दा उठाया है। (**ब्यवधा**न)

उपसभाष्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): बाकी लोगों को भी ताकत देते रहिये।

श्री बलवन्त सिंह रापूबास्तियाः मैं उसूली तौर पर उनको मानता हूं। जैसे मन्दिरों में है, मस्जिदों में है, और जगह है, गुरुद्वारा साहबान की प्रोपटीं पर भी नाजायज्ञ कब्बे हैं। मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी से जुड़ा रहा हूं। मैं मानता हूं कि घपलेबाजी गुरुद्वारे की जायदादों पर भी है, किस ने की है, कौन करता है, इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। यह जो शाऊस कमेटी का माना है, गुरुद्वारे का एरिया उसको नहीं दिया जा सकता, और एरियाज़ को सरकार नहीं मानेगी क्योंकि वक्फ की जायदाद पर बहस हुई है और जितने मैम्बर साहेबान ने उसको उठाया है, क्कफ की जायदाद का मामला उठाया है। सरकार अहलुवालिया जी बहुत ताकतवर सदस्य हैं। ये कभी इस मुद्दे को अलहिदा उठा लें फिर इस पर विचार करेंगे। जहां तक वेस्ट बंगाल।

भी एस॰ एस॰ अहलुवालियाः मंत्री जी एक मिनट। आप खुद स्वीकार करते हैं आन द फ्लोर आफ द हाउस कि घपले हैं और आप यह कहते हैं कि उनको इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। तो यह बड़ी आपकी कमजोरी महसूस होती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जितने घपले हुए उनकी इंक्वायरी करें। उनको स्ट्रीमलाइन तो कर सकते हैं कि भविष्य में घपले न हों। यह जो हाउस कमेटी है यह गिरजाघर, मन्दिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह के लिए एक अच्छा सजेशन पार्लियामेंट के सामने, सरकार के सामने लाए। एस॰जी॰पी॰सी॰ के इलेक्शन एक्ट आफ पार्लियामेंट के तहत होते हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन एक्ट आफ पार्लियामेंट के तहत होते हैं। यह अहाते के बाहर नहीं है, वे यहां अहाते के अंदर हैं क्योंकि ये सारे एक्ट यहां पास हुए हैं। हमारे पटना साहिब के इलेक्शन के लिए बिहार सरकार से एक्ट पास हुआ है। नान्देड़ के इलेक्शन के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है। उसी तरह से एस॰जी॰पी॰सी॰ का इलेक्शन एक्ट आफ पार्टियामेंट ने पास किया है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली एक्ट आफ पार्लियामेंट से होता है। तो आप उससे बाहर नहीं है। आप इंटरफेयर कर सकते हैं। इंटरफेयर करने की बात नहीं स्टीमलाइन कैसे कर सकते हैं, उसका रास्ता निकालने की बात है।

श्री बलवन्त सिंह रामुबालियाः सर, मैंने अर्ज किया कि श्री सिकन्दर बख्त साहब ने कहा कि दिल्ली

की 🙀 प्रापर्टीज का मैंने जिक्र किया। तो लंटस्ट इन्फारमेशन में जनाब सिकन्दर बख्त साहब को आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि 123 वक्फ प्रापटींज डी॰डी॰ए॰ और लैंड डेपलपमेंट जो अधारिटी है उनके कब्जे में थीं। उनको ट्रांसफर करने के लिए कोशिश की गयी। पहली सरकार ने कोशिश की तो उसके जरिए से कुछ प्रापर्टीय ट्रांसफर हो रही थी तभी कुछ सज्जन दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए। वे प्रापर्टीज वापस आने के लिए एक एक्ट आधार तो बनेगा आगे भी मगर अभी सवज्ङिस्ड है। तो उसकी यह पोजीशन है। वक्फ की प्रापर्टी को यह मैं भी मानता हूं कि उतनी देर हम बचा वहीं सकेंगे चूंकि अभी लीज का मुद्दा है और लीज पर मैं यह भी चाहंगा कि हाउस कमेटी गौर करे क्योंकि लीज आसान और थोड़े पैसे में हो जाए तो कोई मृतवल्ली लीज छोटी-छोटी प्रापर्टी में कर सकते हैं। तो उसमें कोई वाच डाग या उसके ऊपर कोई अधारिटी होनी चाहिए। तो रेंट कंट्रोल के मामले में आठ स्टेटस ने र्रेंट कंट्रोल एक्ट से मुस्तिसरे करार कर दिया है वक्फ प्रापर्टीज को और उनके नाम हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब। हम दूसरी स्टेट्स को भी कह रहे हैं। इसी संदर्भ में सरदार अहल्वालिया जी जात कह रहे हैं। उसको भी मैं कह सकुता हं एज वाइस-चैयरमैन आफ माइनारिटीज कमीशन । यह आपने कहा कि पार्लियापेंट का एक्ट है गुरुद्वारा का। तो 1925 का जो सिखा गुरुद्वारा एक्ट है उसमें कुछ एनामलीज थीं, कुछ गलतियां थीं। हमने की तीन दिन के लिए मीटिंग की जिसमें गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी और 60 सिख नेता, रिलीजियस लीडर्स आर्पेनाइजेंशंस के उसमें आए थे। उसमें सभी ने माना था कि प्रापर्टीज में नाजायज कब्जे हैं। लेकिन उसके लिए माइनारिटीज कमीशन ने कुछ रिक्नेडेशंस होम मिनिस्ट्री को भेजे हुए हैं। मैं हाउस को बताने में खुशी होती महसुस करता हं कि उन रिक्मेंडेशंस में से एक रिक्मेंडेशन युनाइटेड फ्रेंट की गवर्नमेंट ने मान लिया है और वह है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो 140 मेम्बर चने जाते हैं आज तक की हिस्ट्री में कभी दो से ज्यादा महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया, जो 15 व्यक्ति कोआए किए जाते हैं—140 उन 15 को कोआए करते हैं उनमें से कभी-कभी एक बीबी, एक महिला को कर देते थे, तो उसको हमने मान लिया है (व्यवधान)

श्री एस॰ एस॰ अइलुबालिया: आपने मिनी पिग बना लिया है ...(व्यवधान) सिख सोसायटी जो है उसमें औरतों को कहीं रुकावट नहीं है। किसी और धर्म में रुकाबट हो सकती है। सिख सोसायटी में औरतों को कहीं रुकाबट नहीं है। अगृद मेम्बर खड़ा न हो तो बात दूसरी है। आपने बहां उस कम्युनिटी को गिनी पिग बना दिया है। पहले 30 प्रतिशत कानून आप यहां लाइये, उसके बाद उन पर लागू कीजिए। पहले यहां नहीं लायेंगे, वहां लागू करेंगे? सिखों की गिनी पिग बना रहे है?

श्री बलवन्त सिंह रामुवालियाः ठीक है, यह आएके अपने ख्वालात हैं। मगर सर, इन्होंने जिक्र किया तो मैंने जिक्र किया। वाइड सौड उसको हेल किया गया है, क्योंकि तजुबें ने बताया कि 140(च्यवधान)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir. I raised three or four important questions. ... [Interruptions)...

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः मैं उसी पर आ रहा हूं। पेपर में हैं।(व्यवधान) मेरे हाथ में पेपर है मैं उसी पर आ रहा हूं(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मंत्री महोदय, आप वक्फ के मामले में बात करें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः मैं अभी, वह कर दिया है। आनरेबल अहलुवालिया जी गुरुद्वारों के बारे में अलाहिदा कालिंग अटेशन मोशन ला सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, जो श्री सिंगला जी ने उन्होंने कहा मैंने बहुत वाइटल क्वश्चन उठाए थे। सब से वाइटल यही था कि उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को अपने बहुत ऊंची सूझ-बृझ और शब्दों का औ उनके पास भंडार है उसके प्रयोग से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रगड़ा दिया। यही उनके ग्रेपोज़ल थे। सब से ज्यादा यही था। उसके लिए मैं यही कहना चाहना हूं कि केन्द्रीय सरकार की तसल्ली है।(स्यवधान)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir. Iet me raise mv three or 'our questions again ...(Interruption)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD... SALIM): You cannot raise now ..(*Interruption*)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: But, Re is not replying to my questions(Interruption)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Let the Minister reply(In terruption)....

श्री बलवन्त सिंह रामुवालियाः सर, मैंने कहा कि बेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो वहां वक्फ की जायदाद के बारे में कुछ शक-व-शुक्हात या इन्कवायरी रिपोर्ट आफ् एन आफिसर, वह थी उस सब के बाद लेटेस्ट जो हमारे पास वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का फैक्स आया है उसके मुताबिक उन्होंने जो कमीशन आफ इन्कवायरी एक्ट, 1952 है उसके मुताबिक जुडीहियल इन्कवायरी आर्डर कर दी है और एक जज साहब हैं जिनका नाम जिस्टस भट्टाचार्य है उनका नाम रेकमेंड कर दिया है तो...(व्यवधान)

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः भान्यवर, इस बात की सूचना इनको पहले क्यों नहीं थी? यह सूचना आज अभी इनको मिली लेकिन जो वक्तव्य है तब उसमें आना स्नाहरूप् था... (काक्शवान)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Vice-Chairman. Sir, I have asked two specific questions. The first question is whether he had any correspondence with the Government of West Bengal when the actual inquiry report was tabled in the House. I would like to know what that correspondence was. I would also tike to know the dates of this correspondence. Secondly. I would like to know whether he would agree to a CBI inquiry. If he is not agreeing to a CBI inquiry, then he should give reasons for rejecting this inquiry... (Interruptions),,,

उपसभाध्यक्ष (श्री भोहम्पद सलीम)ः मंत्री एडोदय, शास्त्री जी और सिंगला जी दो स्पेसेफिक कुबैक्षन पुछ रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः जो श्री शास्त्री जी ने पूछा है मुद्दे उस चीज़ का 28 अगस्त से पता है कि जुडीशियल इन्क्वायरी का फैसला हो गया है, चूंकि यहां हाउस में बार-बार यह कालिंग अटेंशन पोस्टपोंड होते रहे...(व्यवधान)

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः आपके आज के वक्तव्य में क्यों नहीं था? आप अभी कह सूचना दे रहे हैं। आपने जो आज कक्तव्य दिया उस वक्तव्य में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया?...(क्यवधान) यह तो आपके कार्यालय की बड़ी शोचनीय स्थिति है। दूसरी बात मैंने यह भी पूछा है कि क्या कोई केन्द्रीय व्यवस्था करेंगे, जो दूसरे राज्यों में होने वाली गड़बड़ियों की जांच करें? जो उनसे पूछे। क्या आपके पास, केन्द्र सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): टीक है, आप एक ही सवाल को कितनी बार पूछेंगे।

श्री सुरिन्द्र कुपार सिंगलाः जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब हो नहीं आए तो क्या करें...(क्यवधान) स्पेरिक कवैश्वन है...(क्यवधान) Sir. let me put my questions again...(Interruptions)... मैं आपसे जानना चाहता है कि क्या इनकी सैन्ट्रल गवर्नमेंट की कोई कोरेसपोंडेंस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ हुई जब हाउस वहां पर स्टाल हो रहा था? कौन सी डेट हैं? कोरेसपोंडेंस के केटेंट क्या हैं, कोई मेंशन नहीं है। यह ले लेटेस्ट डिवैलपमेंट बता रहे हैं। सैकप्ड यह है, मेरे कहने पर भी फिर वह उस बात का जवाब नहीं देते हैं।...(क्यवधान) सैकष्ट यह था कि सी॰बी॰आई॰ इन्क्वायरी जो आईर हुई है उसकी लिमिटेशन हैं। उस लिमिटेशन को ब्यान में रखते हुए क्या सी॰बी॰आई॰ इन्क्वायरी मांगते हैं या नहीं?

श्री सुरिन्द्र कुमार सिंगलाः अगर नहीं मानते तो क्यो नहीं? आप इस का ही जनाब दे दीजिए। बाकी कुछ नहीं है, बाकी जो एलीमेशंस लगे हैं, उस का जवाब यदि दे सकते हैं ती अच्छी बात होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अभी मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। You have the opportunity to discuss it.

श्री बलबन्त सिंह रामूबालियाः सर, इस मंत्रिमंडलु के सभी मंत्रियों की तरह मैं तो बहुत ओबेडिएंटली और आनेस्टली एक-एक बात का जवाब दे रहा हूं और चूंकि यह एल्डर्स क्षंडस है, हाउस आफ स्टेट्स है, मैं डरता हूं कि कोई बात गलंत न हो जाए तो मैं एक-एक बात का जवाब दे रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्पद सलीप): आप को क्ति मंत्री का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वह भी बजट का जवाब देंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूलालियाः और माननीय शास्त्री जी कितने संतुष्ट हैं मेरे जवाज से। अब इनै को मैं कर रहा है।

श्री सतीश अधवाल (राजस्थान): आप डरिए मत कोई धिविलेज मोशन नहीं आएगा क्योंकि आप तो किसी हाउस के मेंबर ही नहीं नहीं। श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः सर, मैं सिंगला जी को आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सितंबर, 95 से वेस्ट बंगाल के साथ हमारा तालमेल जुड़ा हुआ है और उन से कारेसपोंडेंस भी किया है मैं यह बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने पूछा है। दूसरी बात यह जो तीन चीजें आई हैं—आई॰जी॰ रिजस्ट्रेशन को कहा गया है कि वह कोई छूंसफर या गिपट डीड क्वफ बोर्ड प्रापटों को एटरटेन न कोरं और म्युनिसिपल कापोरैशन कलकता और हाबड़ा को कह दिया गया है कि बिल्डिंग के लिये कोई प्लान सेंक्शन न कों। इस सब से केन्द्रीय सरकार की तसल्ली है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीय): सिकन्दर बज्ज जी कुछ कह रहे हैं...(श्यवधान)लीडर आफ द अपोजीशन कुछ बोल रहे हैं...आर्डर प्लीज।

श्री सिकन्दर बख्त: मैं सदर साहब के जरिए से पूछना चाहता हूं, मैं ने बताया था कि मौजूदा सिचुएशन दोनों एक्ट्स की ऐसी है कि वक्फ बोर्ड वैक्यूम में है। उस बारे में आप ने कुछ फरमाया था कि 113 के मातहत सेंट्रल गवर्नमेंट को अख्तियार है कि इस मुश्किल से निकाला जा सकता है। कुछ आप ने कहा है?

النوی مسکنود بخت: میں معود صاحبہ - استخد بیسے پوچنا جا مجا ہوں میں نہایا ہے استخد میں میں نہایا ہے استخد میں میں نہایا ہیں ہے کہ فرما کی اس میں ہیں اس بارے میں ہیں اس بارے میں ہیں ہیں اس بارے میں ہیں ہیں اس بارے ما تحت معنول کو کر نمندہ کی اس مشکل میں نکا لاجا مسکتا ہے تھے کہ اس مشکل میں نکا لاجا مسکتا ہے تھے کہ اس مشکل میں نکا لاجا مسکتا ہے تھے کہ اس میں کہا ہے تھے کہا ہے تھے کہ اس میں کھی کہ اس میں کہا ہے تھے کہ اس میں کہا ہے تھے کہا ہے تھے کہا ہے تھے کہا ہے تھے کہا ہے کہا ہے کہا ہے تھے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے تھے کہا ہے کہا ہے

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): उन्होंने पहले भी यह बात कही थी कि एक्ट आफ 1954 खत्म हुआ और एक्ट आफ 1995 आप ले आए, लेकिन वह पूरे तौर पर कक्फ पर लागू नहीं हुआ। तो यह जो वैक्यम है, इस के बारे में वह सवाल पुछ रहे थे? श्री सिकन्दर बच्छा: मैं माफी चाहता हूं। मैं बहुत साध्यरण भाषा में यह कहना चाहता हूं कि 1954 का एक्ट खरूस हो चुका है।

النفرى مسكنور بحنت؛ مين معافى چا بهتا موں - ميں بہت سادھاد ب بعا مشامين يربكنا چامها مهر كدم هود كا ايكس ختم مجو حيكا ہے -]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः इसी का जवाब तो दिया है।

भी सिकन्दर बस्तः 1995 का एक्ट जो पहली जनवरी को नाफिज हुआ, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट होने के लिए स्टेट गर्जनमेंट्स को रूस बनाने हैं according to the present Act, Sir. Clause 14(ii) and 109 और इस वक्त वह ऐसी स्टेज में है जिस में कि टोटल वैक्यम है।

[نئی سکندر بخت: ۱۹۹۵ کالیک جو بہی جنوری کونا فزم حا-اس ایک ک امپلیمینٹیل موسے کیلئے اسٹیسے گوٹمنش کولول بنانے ہیں -اوروہ اس وقت ایمی سٹیے میں ہے جسمیں کوٹل ویکیو کے ہے ۔

Where there is total vacuum. How do you want to fill it in. You can do it through Clause You can do it through Clause 113 where the Central Government has got in itself.

मैं ने आप को सबैस्ट भी किया था कि आप मौजूदा एक्ट की टर्मा को उस कका तक के लिए बढ़ाइए जब तक कि आप स्टेट्स से रुखा न बनवा सकें। आप मुझे बताइए

श्री बलवन्त सिंह रामुवालियाः सर, ला मिनिस्त्री से पूछा गया था। तो इस में थोड़ा और गौर करने के लिए टाइम चाहिए। ला मिनिस्त्री ने कहा है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद पिछला एक्ट खत्म हो जाता है। अब 113 उस का इलाज नहीं करता। उस का इलाज नहीं करता।

[†]Transliteration in Arabic Script.

میں نے ایکوسمیسی مورکنا تھا اندائی آپ موجوده اينك كثرمس كالموقت تك كيلة بوطائعه حب تك آب استيث بيعادول ن بنواسكين. آپ يچے بتاييئے]

Have you followed what I have said?

श्री बलवन्त सिंह रापुद्धालियाः सर, मैं सिकन्दर बख्त जी को आप के जरिए कहना चाहता हं कि हम ने इसको गीर किया है। इस वैक्यम को स्टडी किया है। हम इस से आंख मूदकर नहीं बैठे हैं।...(व्यवधाल न)...मैं बता रहा हूं, आप मौका तो दीजिए। मैं यह बता रहा हूं कि इस 113 को लाँ डिपार्टमेंट नहीं मानता। सर, सरकार एक्सरसाइज कर रही है, कीशिश कर रही है वैक्यूम का प्रबंध करने के लिए। वह कहते हैं कि अग , कोई डिक्कीकर्टी इस एक्ट में, 1995 वाले एक्ट में आई तो उस की रेमेडी है, फिछले वाले में नहीं है। 3. P.M.

श्री सिर्कन्दर बख्तः इसी में डिफिकल्टी है। मैं क्या कहं, सर। डिफिकल्टी तो इसी एक्ट की वजह से है...(व्यवधान)...

الخفوى مسكنور بخت: (مى ميس ويعيكلني سيد ىيى كياكور مىر- دىينىكا فى توامى ايكف ى وجهسي ... "مداخلت"...

श्री बलवन्त सिंह रामुवालियाः सर, जैसा आपने कहा, यह जो पिछला एक्ट है, उसके खत्म होने के बाद

SHRI SIKANDER BAKHT: I said, this Act is not implementable unless the States. make rules according to the present Act. That is what I am saying.... (Interruptions)...

श्री बलबन्त सिंह रामुवालियाः सर, पहली बात तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ढोल कर रही है कल फ्रेम करने में। उसमें हम प्रेसर ही डाल सकते हैं, आर्ग्य कर सकते हैं कि वह करें।...(व्यवधान)... दूसरी बात भी आप सुते। सर, मैं हाऊस में यहां कहना चाहंगा सरकार ने ऐसाः **इ**हीं...(**व्यवधान**)

SHRI SIKANDER BAKHT: I do not know. I am sorry (Interruptions) The present Act will become implementable only after the State Governments make rufes according to this Act. I am mentioning the clauses also-142 and 109. These arc the clauses (Interruptions)

श्री बलवन्त सिंह रामुवालियाः सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमने एक्सरसाइज किया है उसके मताबिक इस एक्ट में...(स्थवधान)...

श्री सिकन्दर बखतः सदर साहब, आई एम सौरी, मै कुछ नहीं कह सकता 🛭

· الانترى مسكنوار بخنت: ممدورها دب -اً أن اي مسادى - مين کي بني بكدمسكتا-]

भी बी॰एस॰ रामृवालियाः आप नाराज क्यों होते हो। ऐसे नाएज होने से...(कावधान)... सुनिए सिकन्दर बख्त साहब।

श्री सिकन्दर बख्तः नहीं, नाराजी की बात नहीं है। आप खुद समझ वहीं रहे...(स्वबधान)...

مَرْسُ سَلَمُورِ بِحْت : بِهِين نَارِ احْدَى مَنْ بات بین سے ۔ ایب دورسمے بیں رہے۔

†[متوں مرکنور بخت: علاج کا میں سے مسيشدك كيابيؤكرس الالاركما تمت السلوا يكسفن وكريسكتي بني

श्री बी:एस: रापुवालिया: सर, में हाऊस का टाइम बचाते हए एक लफ्ज कहूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्पद सलीम): हां, कदिए

^{†[]} Transliteration in Arabic Script.

श्री बी॰एस॰ रामुवालियाः सर, मै हाऊस का टाइम बचाते हुए यह कह सकता हूं कि अभी मेरे पास लीगल आपिनियन है। अभी मेरे से कोई वादा मत सें। मैं खुद चलकर इनके घर जाऊंगा। जो ईलाज, राय इनकी निकलेगी, जायज देखेंगे, मगर जो नहीं हो सकता उसे मत कहना...(**स्थवधान)...**

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगलाः सर, सी॰बी॰आई॰ इन्क्वायरी के बारे में नहीं बताया...(स्थवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) Mr. Singla, please sit down. Otherwise, nothing will go on record.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: My question is simple. Will he accede to a CBI inquiry? (...(Interruptions). Let him reply. He is nor ready to reply. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Singla, please take your scat. (lnterrt<ptions)P\cnsc take your scat first. (Interruptions)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Has he answers to any of my questions? Not a single.(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Singla, please sit down. (Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): वह पूछ रहे हैं कि आप सी॰बी॰आई॰ इन्क्कायरी मान रहे हैं? मान रहे है या नहीं?

श्री बी॰एस॰ रामुबालियाः मैं सी॰बी॰आई॰ इन्क्या-यरी नहीं मान रहा।

श्री सरिन्दर कमार सिंग्ल्डः यहां तो मैं पूछ रहा हं कि आप क्यों नहीं मान रहे?...(व्यवधान)...

श्री सतीश अग्रवाल: यह पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मान रहे। आप कह दीजिएगा कि मेरी मर्जी। ...(व्यक्धान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मिस्टर फाइनेन्स मिनिस्टर । हम लोगों ने जो बजट की बहस कनक्लयुड की थी, उसका रेप्लाई होना था। अभी मंत्री महोदय उस परी बजट की बहस का रेप्लाई देंगे।

Mr. Finance Minister, you have to reply on the Budget discussion.

THE BUDGET (GENERAL 1996-97 (contd.)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Vice-Chairman, Sir. I am grateful to the hon. Members who have participated in the debate and given their valuable suggestions on the proposals made in my Budget speech. Sir, I sat through eight hours of the debate. I amy sorry, I could not sit through the debate when the first speakers were on their legs, particularly Mr. Satish Agarwal, for which I apologise because I had some duty in the other House. But eight hours of education in this House has been very useful and I am deeply grateful to the hon. Members.

I shall take this opportunity to explain the philosophy behind the Budget, the state of the economy, and why I think the steps that we have taken would take our economy forward, take our country forward.

There are, of course, specific issues relating to the Finance Bill. But in view of the paucity of time, I had to, in the Lok Sabha, confine my reply to the Budget only to the general issues and reserve my reply on taxation proposals to the debate on the Finance Bill. Since I have not replied on tax matters in the Lok Sabha. I think it would be inappropriate for me to respond to specific tax proposals in this House'. But during the course of my reply, I would try to convince hon. Members that I had carefully noted their suggestions, that I am responsive and would try to accommodate as many of the suggestions, as I find, are acceptable.

Sir, firstly, about reforms. There is a lot of debate. Five years down the road, there is a debate about the need for reforms. The previous Government introduced these reforms in 1991. I was a part of that Government in two spells. I was an ardent supporter of reforms. I remain an ardent supporter of reforms. I now belong to another Government formed by